हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक दिनांक 27 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौसिंल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

27.03.2015/1100/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 1483 (स्थगित)

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने लिखित उत्तर में कहा है कि 110 पात्र उम्मीदवारों को रोज़गार दिया गया है और 326 विभिन्न श्रेणियों के पदों का बैकलॉग है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बैकलॉग काफी समय से है। इसकी कोई समय सीमा निर्धारित कर दी जाए क्योंकि विभागों से बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी वह इस बैकलॉग को नहीं भरते हैं और स्वातंत्रता सेनानियों के परिवार आज रोज़गार में पिछड़ रहे हैं; काफी लोग आयु सीमा पार कर चुके हैं। जब आयु सीमा पार हो जाए तो उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। इसलिए यह जो 326 पद बैकलॉग के हैं, इनको समय सीमा निर्धारित करके शीघ्र भरा जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। जितना भी बैकलॉग है, उसको अगले छः महीनों के अंदर भरा जाएगा। प्रक्रिया शुरू होगी और छः महीनों के अंदर-अंदर सारे बैगलॉग को भर दिया जाएगा।

समाप्त

27.03.2015/1100/sls-ag-2

प्रश्न संख्या : 1786

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शिमला शहर में जो सील्ड और रिस्ट्रिक्टिड रोडज हैं, उन पर एच.आर.टी.सी. द्वारा जो टैक्सी सर्विस चलाई जा रही थी, वह पूर्व में कितने रूट्स पर कहां-से-कहां तक चलती थी, उसमें ऐवरेज कितनी सवारियां उस वक्त सफ़र करती थी और वह सर्विस क्यों बंद कर दी गई? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि अब इन्होंने चार रूट्स अप्लाई किए हैं; क्या फिर से, जो सारे शिमला के पुराने रूट्स थे, जो सी.टी.ओ. तक आते थे या रिटिज तक आते थे या आई.जी.एम.सी., लक्कड़ बाजार तक आते थे, क्या उन रूट्स को दोबारा से

रिवाईव करेंगे क्योंकि बीमार, बुजुर्ग और महिलाओं को उस सेवा से बहुत लाभ प्राप्त होता था जिससे वे वंचित हो गए हैं। तीसरा प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जो नगर निगम बिजली चलित काट्र्स चलाने जा रहा है, क्या वह ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से, इंश्यारैंस की दृष्टि से अप्रूव्ड हैं ?

जारी .. श्री गर्ग जी

27/03/2015/1105/RG/AG/1

प्रश्न सं. 1786 ----क्रमागत

श्री सुरेश भारद्वाज------क्रमागत

क्या परिवहन विभाग या इन्श्योरैंस की दृष्टि से वे यहां चलेंगे, तो क्या उनमें सेफटी स्टेण्डर्ड को मेन्टेन किया गया है और क्या वे यहां चल सकेंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने यह एक बहुत ही अहम् प्रश्न किया है। वर्ष 2006 में जब मैं परिवहन मंत्री था, श्री वीरभद्र सिंह जी उस समय मुख्य मंत्री थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय यह सर्विस शुरू की थी। पहले यह सर्विस ट्रायल पर की थी और यह सर्विस किन रूट्स पर की शुरू की थी वह मैं बताना चाहूंगा। ओल्ड बस स्टेण्ड से सी.टी.ओ., ढली टनल से लक्कड़ बाजार, संजोली से लक्कड़ बाजार, बसन्तविहार से हाई कोर्ट, मैली वाया हाई कोर्ट, न्यू शिमला से हाई कोर्ट, टूटी कण्डी से हाई कोर्ट, भराड़ी से रीगल, अनाडेल से सी.टी.ओ., एम.आई. रूम से सी.टी.ओ., चक्कर से सी.टी.ओ., जंजहैणी से सी.टी.ओ, जाखू से रिट्ज, नव बहार से रिट्ज और नव बहार से लक्कड़ बाजार तक रूट्स हमने शुरू किए थे। इनकी आमदनी चार लाख रुपये महीने की थी। मगर जब वर्ष 2011 में इनकी सरकार आई, माननीय धूमल साहब मुख्य मंत्री थे, इन्होंने क्या फैसला लिया और कैसे लिया यह मेरी समझ से बाहर है। उस समय इनकी आमदनी कम हो गई और कम होकर 2,52,000/-रुपये, 97,000/-रुपये और 3,10,000/- रह गई, तो इस प्रकार आमदनी भी कम हुई और ये गाड़ियां प्राइवेट ऑपरेटर्ज को दे दीं with the best knowledge of the then Minister or Board जो भी होगा, उन्होंने यह किया होगा। मैं इस मामले में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता हूं। प्राइवेट वाले आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा देते थे। हम भी देखते थे और आप भी देखते थे उस समय यह समस्या थी। माननीय

विधायक ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इसकी जरूरत भी है। मगर इन सब चीजों को देखते हुए जब हमने इस सर्विस को दुबारा से चालू करने का प्रयास किया, तो बीच में माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर किए हुए हैं और इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी है, We deem it proper to direct the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh to constitute a committee comprising Principal Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh; Principal Secretary, Transport; and Secretary, Law to examine all permits/passes and cancel all those permits/passes which have not

27/03/2015/1105/RG/AG/2

been issued in accordance with the mandate of the law read with the Act, issue permits to all those persons who are entitled and eligible as per the Act of 2007. तो अब उस ऐक्ट के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चार रूट्स के लिए गृह विभाग को आवेदन किया हुआ है। जब इस कमेटी के सामने बात जाएगी और कमेटी जैसे ही हमें परमिट देगी, हम चारों रूट्स पर अपनी गाड़ियां चला देंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमने निगम से भी बातचीत की है और इस बारे में मैंने कल माननीय मुख्य मंत्री जी से भी बात की थी। हमने जो रूट्स मांगे हैं वे हैं संजौली से आई.जी.एम.सी., छोटा शिमला से यू.एस. क्लब, ओल्ड बस स्टैण्ड से सी.टी.ओ. बिल्डिंग और सी.टी.ओ. से कोर्ट कॉम्पलैक्स चक्कर तक। जो गोल्फ कार्ट चलाने के लिए नगर निगम ने बात की है वह संजोली पुलिस चौकी से लक्कड़ बाजार-सी.ओ.टी. से आई.आई.एम., बालूगंज-छोटा शिमला चौक, इस प्रकार इन्होंने भी चार रूट्स पर चलाने के लिए बात की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने गोल्फ कार्ट की बात की है, तो these are not approved. अभी यह मामला हमारे सामने नहीं आया है जब यह मामला हमारे सामने आएगा, तो परिवहन विभाग उसको अलग से देखेगा कि क्या मोटर व्हीकल ऐक्ट में हम उनको अनुमति दे सकते हैं, क्या वे टैक्नीकली ठीक हैं या नहीं। अभी तक तो उन्होंने न हमें अपलाई किया है और न ही कन्सीडरेशन में है। जब

वे अपलाई करेंगे, फिर मोटर व्हीकल इंस्पैक्टर उसको पूरी तरह चैक करेगा और वह देखेगा कि क्या कानूनी तौर पर उनको चलाया जा सकता है या नहीं।

एम.एस. द्वारा अगले वक्ता शुरू प्रश्न जारी

27/03/2015/1110/MS/jt/1

प्रश्न संख्याः 1786 क्रमागत--

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ी विस्तृत जानकारी दी है। यह ठीक है कि इन्होंने टैक्सियां चलाई थीं। परन्तु वह सिर्फ सी0टी0ओ0 से बस स्टैंड के लिए थी बाकी जो सारे रूट्स इन्होंने गिनाए हैं, वे वर्ष 2011 में नहीं बल्कि वर्ष 2008 में जब माननीय धूमल जी मुख्य मंत्री बने तो इनकी अध्यक्षता में जो सरकार थी, उसने चलाए थे। उससे सारी जनता को बहुत लाभ पहुंचा था। आज अगर महिलाओं, बुजुर्गों या बच्चों को संजौली से आई0जी0एम0सी0 तक आना हो तो उनको बहुत मुश्किल होती है। अगर अपनी गाड़ी लाई जाए तो उसमें दिक्कत होती है क्योंकि गाड़ी पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने हिमाचल में पैडस्ट्रियन एक्ट के बारे में बताया है, उसके मुताबिक तो टैक्सी सर्विस चल ही नहीं सकती है। इसलिए क्या इसमें तरमीम करके HRTC या किसी अन्य संस्था को इन रूट्स पर टैक्सी सर्विस महिलाओं, बच्चों, अपंगों और बुजुर्गों के लिए चलाने की व्यवस्था की जाएगी? इस बारे में एक्ट में संशोधन किया जाए और उसके अनुसार जो रूट्स मिले हैं, उन पर टैक्सियां चलाई जाए। इस दिशा में क्या सरकार प्रयास करेगी ताकि लोगों को इसका लाभ मिले?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मंत्री जी ने बता दिया है कि केस हाई कोर्ट में लगा हैं। उसमें कोई कमेटी कन्स्टीच्यूट हुई है। वह इसको डिसाइड करेगी। मंत्री जी के हाथ में कुछ नहीं है। Would you like to speak something?

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो विधायक महोदय ने चिन्ता जताई है, उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। हमारी मंशा उन सब रूट्स पर टैक्सियां चलाने की

है। HRTC टैक्सियां चलाने को तैयार है। मगर जो अमैंडमैंट होगी, वह गृह विभाग करेगा जोकि मुख्य मंत्री जी का विभाग है। गृह विभाग इसमें अमैंडमैंट कर सकता है। जो आप चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं इसका जवाब मुख्य मंत्री ही दे सकते हैं कि यह अमैंडमैंट उस एक्ट में करेंगे या नहीं। अदरवाइज हमने कमेटी के सामने चार रूट

27/03/2015/1110/MS/jt/2

परमिट हेतु रखे हैं। हम आपसे बातचीत भी कर लेंगे क्योंकि आप स्थानीय नुमाइन्दे हैं। जहां-जहां और भी जरूरत पड़ेगी HRTC टैक्सियां चलाने में पीछे नहीं हटेगी। HRTC टैक्सियां चलाने को तैयार है provided we are given the permission to run. तो परमिशन के लिए हमने कमेटी के सामने और चार रूट्स को परमिट के लिए रखा है। जरूरत पड़ने पर बाकियों के लिए भी हम अपनी अर्जी दे देंगे। अगर कमेटी हमें परमिट दे देती है तो हम इन रूट्स पर टैक्सियां चलाने को तैयार हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो शिमला नगर के अंदर बस सेवा या टैक्सी सेवा चलाने की बात है। जहां-जहां जनता के लिए उपयोगी हो और विभाग भी समझता है कि चलानी जरूरी है । आप उसके लिए गृह मंत्रालय में अपना प्रपोजल भेजिए और गुण-दोष के आधार पर उस पर तुरन्त फैसला किया जाएगा।

प्रश्न समाप्त/-

27/03/2015/1110/MS/jt/3

प्रश्न संख्याः 1787

श्री खूब रामः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसमें मंत्री जी ने कहा है कि 520.46 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और इस साल में 57.66 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। क्या इतने छोटे से अमाउंट में इसमें टैण्डर लग पाएंगे? मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्योंकि यह आई0टी0आई0 प्राइवेट भवन में चल रही है तो अगर इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा इसी साल मिल जाता तो ठीक रहता ताकि इसमें टैण्डर लग जाए। मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह भवन टोटल 5 करोड़ 20 लाख रूपये की राशि से बनना है। उसमें से हमने 87.66 लाख रूपये लोक निर्माण विभाग को दे दिए हैं which is about more than 20 per cent of the total amount to be spent. मैं एश्योर करना चाहता हूं कि जैसे निरमण्ड में आई0टी0आई0 भवन बनाने के लिए हम बाध्य हैं और जल्दी से जल्दी जितने पैसे चाहिए होंगे, देंगे। पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी।

प्रश्न समाप्त/

27/03/2015/1110/MS/jt/4

प्रश्न संख्याः 1788

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि विभाग ने बहुत विस्तृत यहां उत्तर दिया हुआ है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

27.03.2015/1115/जेके/जेटी/1

प्रश्न संख्याः 1788ः----जारी-----

श्रीमती सरवीण चौधरीः---जारी-----
और इसमें लगभग ढाई साल से ज्यादा का समय हो गया है। इस पुल की स्वीकृति और इसमें प्रशासनिक अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति भी 19.02.2012 को हो चुकी है। तीन बार टेण्डर हो चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी आपसे आग्रह किया था। अब अंत में तीसरी बार टेण्डर के बाद ज़वाब आ रहा है कि इसका हाईड्रोलिक डाटा दोबारा बनेगा। पुल की ड्रॉईंग दोबारा बनेंगी क्योंकि स्लाइडिंग ज़ोन है। मैं वहां से विधायक हूं इसलिए मैं बतना चाहूंगी कि पुल की एक जगह पर बैंड है। पानी का जितना लैबल है उसके बाद 200 मीटर तक प्लेन लाईन है। यहां पर एक तरफ गांव है। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाह रही हूं कि यह स्लाइडिंग ज़ोन है या नहीं है लेकिन पिछली सरकार का स्वीकृति पुल ही यदि शुरू

नहीं हुआ तो आगे भी हमारे काम कहां होंगे? मैं आपसे बार-बार आग्रह करती हूं। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी कहा है और यह वह गांव है जिस गांव में 100 प्रतिशत कांग्रेस को वोट पड़ते थे। मैंने बहुत कोशिश की थी और मुझे केवल 7 वोट मिले थे। फिर भी मैंने उस समय के मुख्यमंत्री, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी से इतना बड़ा 420.24 लाख रूपए का पुल स्वीकृत करवाया था। आज मैं मज़बूर हूं इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि इसका काम कब विभाग पूरा करेगा? विभाग बार-बार आई वॉश कर रहा है। पहली बार जब इसका टेण्डर हुआ तब विभाग के अधिकारी वहां क्यों नहीं देखने गए कि इसका स्लाइडिंग ज़ोन है या नहीं है? इसमें क्या समस्या है बल्कि कोई समस्या नहीं है केवल डिले प्रेक्टिस है। इसका काम कब जल्दी से जल्दी शुरू किया जाएगा। इसका आश्वासन मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहती हूं।

मुख्य मंत्रीः इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस पुल को बनाने में काफी देर हो रही है। साईट के बारे में सर्वेक्षण होता रहा। अब फाईनली विभाग ने इस पुल की जो साईट है उसको ही सलैक्ट किया है जहां पर इस पुल का शिलान्यास हुआ था। अब इसका

27.03.2015/1115/जेके/जेटी/2

हाईड्रॉलिक डाटा कलैक्ट किया जा रहा है और रिवाईज्ड एस्टिमेट और डिजाईन शीघ्रता से बनाया जाएगा। मुझे उम्मीद है इसको बनाने का जो कार्यक्रम है, टेण्डरिंग आदि जल्दी हो जाएगी।

श्रीमती सरवीण चौधरीः माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं जानना चाहूंगी कि इसका आपने दोबारा से हाईड्रॉलिक डाटा के बारे में बताया है और इसकी ड्रॉईंग भी दोबारा से बनेगी। क्या इसके लिए फिर और डिले होगा? क्या अब और बड़ा एस्टिमेट बनेगा और फिर उतना ही डिले हो जाएगा? मैं आपसे आश्वासन चाहती हूं कि इसका काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए और उसके बाद जितना समय बनने में लगेगा वह अलग है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कलरू पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी करवा दिया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जितना समय माननीय सदस्या ने पुल की वकालत में लगाया है उतने समय में इस पुल का काम शुरू कर दिया जाएगा।

प्रश्न समाप्त।

27.03.2015/1115/जेके/जेटी/1

प्रश्न संख्याः 1789

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कुफरी पर्यटन क्षेत्र के लिए मु0 1,36,79,007/- लाख रूपए सेंक्शन किए गए, जिसमें से मु0 1,07,27,868/-रूपए पहले से ही खर्च कर चुके हैं। मुख्य मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूंगा कि कुफरी में बहुत अच्छा काम हुआ है वहां पर टाईल्ज लगी हैं और पक्का हुआ है, परन्तु लगभग 700 घोड़े कुफरी में इस समय पर्यटकों के लिए चल रहे हैं। साडा उनके मल-मूत्र की निकासी के लिए मु0 22,500/- रूपए खर्च कर रही है। यदि वास्तविक रूप में देखा जाए तो वहां पर धूल की जगह घोड़ों का मल-मूत्र उड़ता है। लोगों को अपना मुंह चुन्नी या रूमाल से ढकना पड़ता है। इसके लिए व्यवस्थति प्लान बनाई जाए। वहां पर 400-450 के करीब घोड़े साडा के पास रजिस्ट्रर्ड हैं और चल रहे हैं करीब 700 घोड़े। हर घोड़े के 50 रूपये लिए जाते हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

27.03.2015/1120/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1789 क्रमागत

श्री अनिरूद्ध सिंह क्रमागतः
हर घोड़े से 50 रुपये प्रतिमाह लिये जाते हैं परन्तु एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है जिसकी वजह से सफाई न के बराबर है। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको सुनिश्चित करें। पहले वहां का स्थानीय एम0एल0ए0 साडा का मेम्बर हुआ करता था परन्तु बी0जे0पी0 सरकार में उसको बाहर कर दिया। मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि एक एम0एल0ए0 साडा का मेम्बर होना चाहिए और वहां की सफाई के बारे में प्रॉपर प्लान बनना चाहिए।

Chief Minister: At present, Rs. 22,500/- is being spent by district administration per month for cleaning of horse dung at Kufri. I am aware of the problem. A team consisting officials from district administration, Tourism Department and Animal Husbandry Department will jointly inspect the place and suggest concrete steps to be taken in this regard. As for suggestion of Hon'ble Member is that the MLA of the area should have been member of the SADA, I accept that. I think MLA will be made member of that.

Concluded

27.03.2015/1120/SS-AG/2

प्रश्न संख्याः 1790

Speaker: Are you (Shri Balbir Singh Verma) authorised by Shri Kirnesh Jung? You are not authorised to make a question on behalf of Shri . Kirnesh Jung. श्री किरनेश जंग, अनुपस्थित।

27.03.2015/1120/SS-AG/3

प्रश्न संख्याः 1791

श्री पवन काजलः अध्यक्ष जी, ये जो सूचना सभापटल पर रखी है, मैंने प्रश्न पूछा था कि कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खरटी से हार जलार्डी तक बनने वाले पुल की डी0पी0आर0 की क्या स्थिति है?

प्रश्न के "ख" भाग में पूछा था कि इसका निर्माण कब तक कर दिया जायेगा? जो विभाग द्वारा उत्तर आया है उसमें बताया गया है कि खरटी से हार जलार्ड़ी तक सड़क नाबार्ड के पत्र दिनांक 8.7.2008 द्वारा स्वीकृत हुई है। इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। सड़क पर बनने वाले पुल को माननीय विधायक की प्राथमिकता में वर्ष 2003-04 में शामिल किया गया था। परन्तु सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से पहले की प्राथमिकता को निरस्त कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं माननीय

मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये जो पुल है जिसके बारे में मैंने पूछा था इसका टैंडर हुआ था। अब विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि इसको विधायक प्राथमिकता में डाला जायेगा उसके बाद यह बनेगा। जहां तक मुझे ध्यान है इसका 2008 में टैंडर हुआ था। दूसरी बात, अब कहा गया है कि इसे माननीय विधायक की प्राथमिकता पर शामिल करने का आग्रह किया गया है। इसको पहले 2003 में विधायक प्राथमिकता में डाला गया। उसके बाद 2006-07 में निकाल दिया गया। अब विभाग द्वारा कहा गया कि इसको प्राथमिकता में डाला जाए। मैं आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैंने इसको 2013-14 की विधायक प्राथमिकता में डाला है। परन्तु मैं थोड़ा-सा चिन्तित हूं कि 2008 और 2012 के बीच जो सरकार थी, उसने इस पर कुछ काम नहीं किया। यह पुल चंगर क्षेत्र (कांगड़ा) में आता है और 20 पंचायतों को जोड़ता है। चिन्ता का विषय यह है कि पांच सालों तक इसकी डी0पी0आर0 नहीं मंगाई गई और न ही बनी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या इस फाइनेंशियल ईयर में इस पुल की डी0पी0आर0 बन कर काम शुरू हो जायेगा?

जारी श्रीमती के0एस0

7.03.2015/1125/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1791 जारी----

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह पुल एम.एल.ए. की प्रायोरिटी में है और आपकी प्रायोरिटी को देखते हुए इस पर शीघ्रता से काम किया जाएगा।

प्रश्न समाप्त

7**.03.2015/1125/केएस/एजी/2**

प्रश्न संख्याः 1792

श्रीमती आशा कुमारी (प्राधिकृत)ः अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। किसानों और उनकी जमीनों से जुड़ा हुआ मामला है। जो सूचना सभा पटल पर माननीय मंत्री जी ने रखी है, इसमें इन्होंने बताया है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने

कुछ किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव में ले करके करोड़ों रुपये में बिजली बोर्ड को बेच दी। माननीय मुख्य मंत्री जी दौरे पर गए, वहां के लोग उनको मिले और मुख्य मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए जिसमें यह पाया गया, एडिशनल डिप्टी कमिशनर ने जांच की और पाया गया कि तीन हजार, छः हज़ार और पांच हज़ार रुपये की कीमत से कुछ प्रभावशाली लोगों ने चार महीने के अन्दर-अन्दर खरीद कर करोड़ों में वह जमीन रेणुका बांध को बेच दी। क्या आपने इसकी इन्क्वायरी करवाई? आपके जवाब के मुताबिक यह मामला अब सतर्कता विभाग को दिया गया है, विजिलैंस के पास है। एक तो मैं यह जानना चाहूंगी कि इसमें विजिलैंस की इन्क्वायरी कब तक कम्पलीट हो जाएगी क्योंकि ए.डी.सी. की रिपोर्ट ऑलरेड़ी अवेलेवल है? यह मामला वर्ष 2010 का है कोई विनोज कुमार है, राकेश कुमार है, मिसिज़ जैन हैं, इन्होंने तीन हजार रुपये बीघा मूल्य में जमीन खरीदी और लाखों रुपये बीघा के हिसाब से रेणुका डैम को बेच दी। यह बहुत ही गम्भीर मामला है और मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे इस माननीय सदन में आश्वासन दें बल्कि मैं तो मा0 मुख्य मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगी क्योंकि यह मामला सतर्कता विभाग के पास है। लाखों/करोड़ों रुपये चार-पांच आदमियों ने किसानों की जमीन से कमाया है। मा0 मुख्य मंत्री

7.03.2015/1125/केएस/एजी/3

महोदय, आपने जांच के आदेश दिए थे, उसकी रिपोर्ट आ गई है। सतर्कता विभाग इसको कब तक पूर्ण कर लेगा और किसानों को उनका हक वापिस दिया जाएगा या नहीं?

Chief Minister: First Information Reports have already been registered by Vigilance Bureau and investigation has been started. I would like to assure the Hon'ble Member and the House that the Government will take stringent action against these people who have defrauded the rightful owners of this land from the quantum of compensation which they would have received from the dam authorities. I will ask the department to give top priority to it and see that the matter is taken into logical end as soon as in possible time.

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं मा0 मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच जल्दी पूर्ण कर ली जाएगी मगर मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि जांच एजैंसियों को आप यह जानने के आदेश जरूर करें कि इनके तार किन लोगों से जुड़े हुए हैं? जिन लोगों ने ये जमीनें खरीदी हैं क्या ये फ्रंट फेस थे ? क्या वाकई में इन्होंने ही ये जमीन खरीदी है या खरीदने वाले कोई और है? बेनामी ट्रांजैक्शन की गई है और सरकार में किसको पता था कि यह जमीन, क्योंकि 1994 में यह एम.ओ.यू. हुआ है। बाद में इस रेणुका डैम को नैशनल इम्पोर्टेंस का घाषित किया गया। जब यह नैशनल इम्पोर्टेंस का घोषित हो गया और यह पता लग गया कि

7.03.2015/1125/केएस/एजी/4

बिजली बोर्ड इसको एक्वायर करने वाला है तब कुछ लोगों ने यह जमीन खरीदी है तो क्या यह बेनामी ट्रांजैक्शन थी, इस पर भी क्या माननीय मुख्य मंत्री जी गौर फरमाएंगें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो यह मामला है इसकी जांच हो रही है। इसके अलावा रेणुका डैम में जमीन की जो खरीदो-फ़रोख्त हुई है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

27.3.2015/1130/jt/av/1

प्रश्न संख्या : 1792--------- जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो अभी मामला उठाया है इसके ऊपर इनवैस्टिगेशन हुई है। इसके अतिरिक्त रेणुका डैम में जो जमीन की खरीद-फरोख्त हुई है हमें उसके बारे में और भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यहां तक हुई है कि कई लोगों ने जिनकी जमीन वहां पर बाद में ऐक्वायर की गई है उसमें जो गरीब लोग थे उनकी जमीन की पावर ऑफ अटोरनी लेकर पैसा लिया और उनके साथ बेनामी ट्रांजैक्शन की गई। जो कम्पनसैशन मिला था वह उन लोगों ने हड़प कर दिया। जमीन के मालिक को उस राशि का बहुत छोटा अंश प्राप्त हुआ है। There are many cases in the like this and the matter is being investigated.

समाप्त

27.3.2015/1130/jt/av/2

<u>प्रश्न संख्या : 1793</u>

श्री अजय महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि स्टेट लैवल पर कितने केसिज हैं तथा जो चण्डीगढ़ और देहरादून जाने हैं वे कितने हैं? इन्होंने वह सूचना यहां नहीं दी। The total information they have given is that there are 31 cases. मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये 31 केसिज कई सालों से फॉरैस्ट क्लीयरैंस के चले हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में केवल तीन सड़कों को फॉरैस्ट क्लीयरैंस मिल पाई है। मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ समय पहले इसको ऑन लाइन किया है। जब ऑन लाइन किये तो इन केसों के लिए पिछले कई वर्षों से की गई एक्टिविटी समाप्त हो गई। अब इन्होंने क्या किया, they have put a new condition out here कि गूगल मैपिंग की जगह डिजिटल मैपिंग कर दी। डिजिटल मैपिंग में within the same longitude and latitude की जो ट्रांसक्लोजिंग होती है उसके लिए 20 हजार रुपये लगते हैं, वह फ्री है। Now, the whole process has come back after so many years Secondly, I would like to request you कि जो पिछले दस वर्षों में सिस्टम; कभी फाइल डी.एफ.ओ. से कंजर्वेटर और कंजर्वेटर से नीचे and now you have a very dynamic Secretary (Forest). सैक्रेटरी (फॉरैस्ट) ने ऐवरी मंथ किया है, पर उसका अभी तक नीचे नहीं आया। नीचे भी मैंने देखा है जो प्रोसैस पिछले कई सालों से ऊपर-नीचे चला है, इसके लिए आप करेंगे?

Chief Minister: Speaker, Sir, as the Hon. Member has himself stated that even cases for forest clearances have been submitted to the Forest Department by the PWD. Cases where involvement of land is less than one hectare will be considered by the State Level Committee with the condition that the project should not involve more than 50 trees per hectare. In the present cases, no clearances will be given by the State

27.3.2015/1130/jt/av/3

Level Standing Committee as forest violations have already been reported in most of the roads submitted for forest clearance. All the cases have been scrutinized by the Forest Department and are in the process for forest clearance. For the fast clearance of the forest cases, regular meetings of Coordination Committee are being held in Forest Department headquarters as well on 5th of every month at the level of Conservator of Forest. I can assure you that I will ask the Forest Department and the PWD to expedite this matter and give it top priority so that all the clearances are obtained and work of the roads starts.

Shri Ajay Mahajan: Sir, thank you very much for the Assurance. But I just want to make a little request that कि जो स्टेट को एक हैक्टेयर से नीचे के केसिज जाते हैं, now what is put online, इन्होंने उसमें एक नई चीज यह कर दी कि the digital ----

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

27.03.2015/1135/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः.1793.. जारी...

श्री अजय महाजन.. जारी...

This digital mapping should be done, जो ऑलरेडी गुग्गल मैपिंग की हुई है। Now, there is no difference. Google mapping and longitude/latitude, इसमें ट्रांसफोर्मेशन होती है। जो at-least for the state कर सकते हैं, उसका गुग्गल मैपिंग एलाऊ होने चाहिए। So, the whole process has come down again और यह ऑन लाईन होना चाहिए। It should have been done faster. सर, यह उल्टा आने वाले स्थान पर आ गया ।

Chief Minister: The information given by Hon. Member and the suggestion made by him will be kept in mind.

Concluded

27.03.2015/1135/negi/jt/2

Speaker: Next question (1794) Sh Gulab Singh Thakur- Absent.
श्री रविन्द्र सिंह : सर,

Speaker: Are you authorised? Have you got the authorisation?

श्री रविन्द्र सिंह: सर, ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष: मेरे पास उनका अथोराइजेशन नहीं है। There is no authorisation from him.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने ही मुझे एलाऊ किया है। जिस दिन वह हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसी दिन मैंने उनके प्रश्नों को यहां रखा है और मैं रखता रहा हूं। आज उनका प्रश्न लगा हुआ है और आपके पास वह तो रिकार्ड में है।

Speaker: We will take it later on. I will verify about it and tell you.

श्री रविन्द्र सिंह: सर, तब तक तो क्वैश्चर हॉवर समाप्त हो जाएगा।

Speaker: We will take it later on. I will check whether the authorisation is there or not. If it is there, we will give you the opportunity.

27.03.2015/1135/negi/jt/3

प्रश्न संख्या: 1795.
श्री बम्बर ठाकुर: अध्यक्ष महोदय,मैंने अपने चुनाव क्षेत्र का डाटा मांगा था लेकिन मेरे प्रश्न को 3-4 प्रश्नों के साथ क्लब कर दिया। मैं यह जानना चाह रहा था कि सन

2007 से लेकर के 2012 तक मेरे चुनाव क्षेत्र में कितने प्लस टू स्कूल बने ? सन 1987 से ले करके 2015 तक जो स्कूल पहले बने हैं उनके भवन बनाने के लिए क्या बदले हुए शासन में उनको बिल्डिंग्ज़ दी गई या नहीं दी गई है? यह मैं जानना चाह रहा था। ....(व्यवधान)...

Speaker : Please make a supplementary.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है - Information is being collected. आपने सबका क्वैश्चन क्लब कर दिया है और इसमें बहुत विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

श्री जय राम ठाकुर : सर,

अध्यक्षः जय राम जी, क्या आप बोलना चाहते हैं ? आपका भी साथ में क्वैश्चन है। श्री जय राम ठाकुर।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, भले ही चाहे इस प्रश्न का जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि इस प्रकार से हमारे, 5-5 मेम्बर्ज़ के प्रश्नों को जो क्लब किया जा रहा है इससे सच में अर्थ का अनर्थ हो रहा है। इनकी प्रश्न पूछने की मूल भावना कुछ और थी, मुझे लगता है कि इनकी भावना यह थी कि वर्ष 2007 से 2012 तक का और हमने वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में, 2012 से 2015 तक का, जिसका जिक्र काफी हद तक इस बजट स्पीच में हैं और इससे संबंधित कोई सूचना एकत्रित करने की बड़ी आवश्यकता थी नही। क्योंकि ये सारी चीज़ें इस बजट स्पीच में मैंशन है जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में दी है। मेरा निवेदन है कि जो प्रश्न

27.03.2015/1135/negi/jt/4

इस प्रकार से क्लब किये जा रहे हैं इससे हमें जो ठीक सूचना प्राप्त करनी है वह नही उपलब्ध हो पा रही है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को अलग किया जाए और 5-5, 6-6 लोगों के प्रश्नों को क्लब न किया जाए। यह मेरा निवेदन है ।

अध्यक्षः इन्होंने यह क्वैश्चन पूछा है कि कितने स्कूल बन गए और कितने भवन बन गए हैं और आपका प्रश्न भी वही है और उसमें आपकी सूचना अलग से मिल सकती है। I will give you time for a supplementary.

श्री जय राम ठाकुरः जब क्लब करते हैं तो उस वक्त यह विषय ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

27.03.2015/1140/यूके/एजी/1

प्रश्न संख्या- 1795---जारी --

श्री जय राम ठाकुर-----जारी---

तो इस वक्त यह विषय को ध्यान में रखने की आवश्यकता है ।

Speaker: Your query is included in this question. आपकी जो पूछने की इच्छा है उसका ये अलग से जवाब दे सकते हैं । सभी माननीय सदस्यों की भी और आपकी भी इन्फार्मेशन है । You can make a supplementary to the Hon'ble Minister तो आपको सूचना दी जा सकती है और हमने जो प्रशन कल्ब किए हैं, ये नियमानुसार किए हैं । तो जो टोटल प्रश्न है, उसमें जो आपका पोर्शन है, उसका जवाब भी मिल सकता है ।

श्री जय राम ठाकुरः सर, मेरा सबमिशन इसमें यह है कि इस तरह के प्रश्न पहले भी कल्ब हुए जिसके कारण हमको ठीक सूचना नहीं पहुंच पा रही है । जो माननीय सदस्यों का प्रश्न पूछने का अधिकार है, उससे भी वे वंचित हो रहे हैं । इस तरह के जो प्रश्न पहले लगे उसमें आपने एक सदस्य को अलाऊ किया क्योंकि उनका पहले नाम था । उसके बाद बाकी सदस्यों को अलाऊ नहीं हो पाया, बाकी सदस्यों का नाम नहीं आ पाया । तो इस कारण से उनकी भी जो यहां पर प्रश्न पूछने की ऑपरच्यूनिटी होनी चाहिए उससे वे वंचित हो रहे हैं । इसमें डिटेल में जो पूरा रिप्लाई आना चाहिए, जानकारी के रूप में वह हमको नहीं मिल पा रहा है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत ज्यादा सदस्यों के प्रश्नों को कल्ब नहीं करना चाहिए । जब नेचर

उनका एक नहीं है, अलग-अलग है, यदि आप इसमें देखेंगें तो पता चलेगा । जो 5 माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा लगभग अधिकांश सदस्यों की भावना इसमें अलग-अलग है । तो यदि ये प्रश्न अलग-अलग किए जाते तो मुझे लगता है कि उसका उत्तर ठीक प्रकार से हमको उपलब्ध होता ।

Speaker: Okay. We will take care of this also.

27.03.2015/1140/यूके/एजी/2

प्रश्न संख्या- 1796

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार ने इस देश के अन्दर पैट्रोल औल डीज़ल के भाव कम किए । जिससे पूरे देश को राहत मिली । लेकिन प्रदेश के अन्दर फिर से वैट लगा कर पैट्रोल और डीज़ल महंगा कर दिया जवाब दिया गया कि इससे प्रदेश को 12,40,19,476 रुपए की कुल आय हुई । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आज पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में पैट्रोल और डीज़ल सस्ता है । हमारे जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, यहां से सारे लोग जब बाहर जाते हैं तो वे वहां बाहर ही अपनी गाड़ियों में पैट्रोल और डीज़ल भरवा कर आते हैं । तो क्या पैट्रोल और डीज़ल को यहां पर महंगा करने से उल्टा इससे नुकसान तो नहीं हुआ? क्या प्रदेश सरकार ने पहले इसका कोई सर्वेक्षण करवाया था, एक बात? दूसरे, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो राहत पूरे देश को मिल रही है, लेकिन प्रदेश सरकार उसको महंगा कर रही है । क्या वह राहत प्रदेश की जनता को फिर से मिले इसके लिए इसका रेट कम करने की कोई प्लानिंग है?

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि जो अर्न्तराष्ट्रीय मार्किट के अनुसार कच्चे तेल के दामों में गिरावट आयी थी, मैं बताना चाहूंगा इसमें 57% कच्चे तेल की गिरावट आयी थी । केन्द्र सरकार ने उस तरीके उतना मूल्य कम नहीं किया । यानि केन्द्र सरकार ने 20% के हिसाब से कम किया । मूल्य कम हुए पर 20% के हिसाब से और उसके बाद केन्द्र सरकार ने ऐक्साईज़ ड्यूटी लगाई, वह एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भी नहीं बल्कि चार बार । केन्द्र सरकार ने चार बार ऐक्साईज़ ड्यूटी लगाई और

7.75 रुपए पैट्रोल किया । (व्यवधान) मेरे पास फैक्ट्स हैं तभी तो मैं बोल रहा हूं । माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार ने दिनांक 12-11-2014, 2-12-2014, 2 जनवरी 2015, तथा 16 जनवरी, 2015 को ऐक्साईज़ ड्यूटी लगाई पैट्रोल और डीज़ल पर ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी ----

27.03.2015/1145/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 1796 ..जारी

मा0 आबकारी एवं कराधान मंत्री .. जारी

पैट्रोल पर 7.75 रुपये और डीजल पर 6.50 रुपये। अगर केंद्र सरकार ने अक्साईज ड्यूटि नहीं लगाई होती तो हिमाचल प्रदेश में पैट्रोल 7.75 रुपये सस्ता होता और डीजल 6.50 पैसे सस्ता होता। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि हिमाचल से सस्ता पंजाब और हरियाणा में डीजल है। जब वैट बढ़ाया गया तो हमारे पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा ने हमें दबाव डाला कि आप भी वैट बढ़ाओ, हम भी बढ़ा रहे हैं ताकि तीनों पड़ोसी राज्यों की कीमतें मिली-जुली हों। मुझे पंजाब के उप-मुख्य मंत्री का फोन आया। उन्होंने कहा कि हम वैट बढ़ाते जा रहे हैं...(व्यवधान)... झूठ नहीं है। आप सुन लो। ...(व्यवधान)... सुनो। उनका फोन आया और मैंने कहा कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। ...(व्यवधान)... आप सुनिएं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप एक मिनट बैठ जाएं। I request every Hon'ble Member not to speak in between the question. Let him speak. You can highlight your objection in the supplementary also. I will give you time. Please don't speak in between the question. यह पता नहीं लग पाता कि मंत्री महोदय क्या बोल रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। Let him speak then you can ask the supplementary if you like. माननीय मंत्री जी, अब आप बोलिए।

आबकारी एवं कराधान मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि मुझे सुखबीर सिंह बादल जी का फोन आया। मैंने उन्हें कहा कि हम विचार करेंगे। उसके बाद मुझे हरियाणा के फाईनैंस मीनिस्टर कैप्टन अभिमन्यु जी का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बादल साहब से बात हुई है, हम पैट्रोल, डीजल के ऊपर

वैट बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय से बात करूंगा, उसके बाद का निर्णय हमारी कैबिनेट लेगी। मुझे फिर बार-बार उनके फोन आते रहे। तीसरे दिन फिर मुझे बादल साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि हमने

27.03.2015/1145/sls-ag-2

वैट बढ़ा दिया है, आपने बढ़ा लेना। मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से बात की। फिर कैबिनेट में यह बात गई और कैबिनेट ने फैसला लिया। जो वैट हरियाणा ने 12.7% बढ़ाया था, पंजाब ने 12.37% बढ़ाया था वह हमने 11.50% किया। हमने उनसे कम किया ताकि हम पंजाब और हरियाणा से ज्यादा न करें। माननीय सदस्य जी ने पूछा था कि क्या हिमाचल प्रदेश में पंजाब और हरियाणा से सस्ता है? यहां माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊना के एरिया मैहतपुर में डीजल पंजाब से 44 पैसे सस्ता है। बद्दी में हरियाणा के मुकाबले डीजल 10 पैसे सस्ता है। इन सारी बातों को देखते हुए हमने यह किया है। पैट्रोल, डीजल और ए.टी.एफ. से जो कुल इनकम है, वह 12,40,19,476 हुई है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, सवाल बड़ा सीधा था कि पैट्रोल और डीजल पर वैट क्यों बढ़ाई गई? माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें बैकग्राऊंड्ज बताई गई हैं कि केंद्र ने क्योंकि अक्साईज ड्यूटि बढ़ा दी थी, इसलिए हमने वैट बढ़ा दिया। पहले हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता को हम इस करके राहत देते रहे कि महंगाई ज्यादा है। यहां पर जो आप सस्ती दालें और राशन देते हैं, इसका मुख्य कारण है कि अगर केंद्र के कारण महंगाई हो भी रही है तो भी राहत देने के लिए हम ऐसा करें। दूसरा अरगुमैंट इन्होंने दिया कि पंजाब और हरियाणा के मंत्रियों के फोन आए, इसलिए हमने चेंज कर दिया। हिमाचल प्रदेश में कितनी बार

जारी .. श्री गर्ग जी

27/03/2015/1150/RG/JT/1

प्रश्न सं. 1796 ----क्रमागत

प्रो. प्रेम कुमार धूमल------क्रमागत

कि पंजाब और हरियाणा के मंत्रियों के फोन आए, इसलिए हमने इसको चेन्ज कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने कितनी बार टैक्सेशन को पंजाब एवं हरियाणा की तर्ज पर किया है? क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जब यहां 14 प्रतिशत डीज़ल पर वैट हुआ करता था तब पंजाब में 8.62 प्रतिशत था और हमारे ट्रांसपोर्टर्ज बाहर से डीज़ल डलवाकर आते थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहां सेल बढ़े और जो सेल्स टैक्स हमें मिलेगा, उससे वह कम्पनशेट हो जाएगा। इसलिए हमने 8.50 किया था। जब कर्मचारियों को कुछ देना होता है, तो आप कहते हैं कि पंजाब की कैबिनेट ने जो फैसला कर दिया हम उसको क्यों मानें और यहां 4-9-14 का लाभ उनकी तरह कर्मचारियों को क्यों दें? लेकिन जब लोगों पर बोझ डालना है, तो आपको पंजाब या हरियाणा का मंत्री फोन करेगा, तो आप रेट बढ़ा देंगे। जब आपके यहां 14 प्रतिशत था, तो हरियाणा और पंजाब ने क्यों नहीं बढ़ाया था और आपने उनके कहने पर क्यों बढ़ाया? इसलिए सवाल सीधा है कि क्या सरकार की नीयत राहत देने की है? केन्द्र ने ऐक्साइज डियुटी बढ़ाई, पंजाब और हरियाणा ने टैक्स बढ़ाया, तो क्या उसके फलस्वरू हम भी बढ़ा दिया करेंगे या हम राहत देने की बात सोचते हैं?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया आप ब्रीफली ही बोलिए।

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इनके सवाल का सीधा जवाब दिया था कि पंजाब और हरियाणा से बात हुई, हम तो वैट बढ़ाना नहीं चाहते थे। जब हमारे राज्य पंजाब एवं हरियाणा हैं, उनसे बात हुई, तब बढ़ाया। धूमल साहब ने ठीक कहा कहा कि यहां डीजल पर 14 प्रतिशत वैट था, पिछली सरकार में दिनांक 7-7-2011 को यह 14 से 9.70 हो गया, उसके बाद 4-10-2012 को 9.60 हो गया। यह सही है, जो आपने किया था, परन्तु जहां तक डीजल की बात है, 9.60 से हमने 11.50 प्रतिशत किया है। हमने कोई हरियाणा और पंजाब से महंगा नहीं किया। हमने उससे सस्ता रखा। हमने पंजाब के कहने पर जरूर ऐसा किया होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तीनों प्रदेश पड़ोसी हैं, हमारा जो डीजल या पैट्रोल है उनके रेट्स

बराबर होने चाहिए। इसलिए हमने बढ़ाया। जहां तक केन्द्र की बात है, मैंने तो केन्द्र को इसलिए कहा कि अगर केन्द्र ने ऐक्साइज डियुटी नहीं बढ़ाई होती, तो आज इनकी कीमतें कम होतीं। अभी आपने देखा कि 28 फरवरी को केन्द्र ने पैट्रोल पर फिर 3 रुपये, 18 पैसे बढ़ाए, डीजल पर 3 रुपये, 9 पैसे और बढ़ाए। अगर केन्द्र

27/03/2015/1150/RG/JT/2

चाहता कि हम पैट्रोल और डीजल को अन्तरराष्ट्रीय मार्केट पर छोड़ दें, जैसा मैंने कहा कि इसमें 50 प्रतिशत की रेट में गिरावट आई है और इन्होंने केवल 20 प्रतिशत ही मूल्य कम किए। अगर केन्द्र चाहता कि हमने लोगों को राहत देनी है, तो न ऐक्साइज डियुटी लगाते और जो 28 फरवरी को डीजल और पैट्रोल के रेट्स बढ़ाए, वे न बढ़ाते। इसलिए यदि केन्द्र ने दाम बढ़ाए हैं, तो हिमाचल प्रदेश भी केन्द्र का ही एक हिस्सा है। हमने पैटोल पर 2 प्रतिशत वैट लगाया है यानि 1.05 रुपया हमने बढ़ाया है जबकि केन्द्र ने पैट्रोल पर जनता पर 10.93 रुपये का बोझ डाला और हमने डीजल पर केवल 90 पैसे बढ़ाए हैं और केन्द्र ने 9.59 रुपये बढ़ाए हैं। यह केन्द्र ने बोझ डाला है। इसलिए हमने कोई ज्यादा बोझ नहीं डाला है, हमने सिर्फ 1.05 रुपये पैट्रोल पर और 90 पैसे डीजल पर बढ़ाया है। जैसा माननीय धूमल साहब ने पूछा, तो इसको कम करने का हमारा कोई विचार नहीं है। यह केबिनेट का फैसला है, सरकार का फैसला है और सरकार को चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है। इससे लगभग 12,40,00,000/-रुपये का लाभ हुआ है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि फिर भी हम पंजाब और हरियाणा से सस्ते हैं। उत्तराखण्ड में जो वैट है-----जारी

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

27/03/2015/1155/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः 1796 क्रमागत--आबकारी एवं कराधान मंत्री जारी---------

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां फिर भी पंजाब और हरियाणा से सस्ता है। उत्तराखण्ड में डीजल और पेट्रोल दोनों पर 20 प्रतिशत वैट है। पेट्रोल पर वैट के मामले में पंजाब भी हमसे ज्यादा है। पंजाब में 28 प्रतिशत और 2 रूपये 80 पैसे उस

पर सरचार्ज है। यानी 30 रूपये 80 पैसे पंजाब में है और जम्मू-कश्मीर में भी 5 प्रतिशत डीजल पर वैट है। यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड, पंजाब और हरियाणा में सबसे कम वैट है। पूरे देश में डीजल पर 20 प्रतिशत वैट है। इम्पावर्ड कमेटी की गाइडलाइन्ज के मुताबिक पूरे भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर डीजल पर वैट 20 प्रतिशत है।

Speaker: Before I allow supplementary, मैं माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी को यह सूचना देना चाहता हूं कि जो प्रश्न संख्याः 1794 गुलाब सिंह ठाकुर जी का आज लगा है, उसके बारे में ऑथोराइजेशन आपको नहीं है। आपको 25 मार्च के लिए ऑथोराइजेशन थी। आज के प्रश्न के लिए ऑथोराइजेशन नहीं थी।

मैं धूमल जी को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अनुमति देता हूं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस रीजन में हम सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं। जो बेसिक फ्लोर रेट सारे देश में है, वह डीजल पर 20 प्रतिशत वैट का है। लेकिन हर स्टेट अपने हिसाब से वैट बढ़ाती और कम करती रही है। हिमाचल प्रदेश में रेल सेवा और हवाई सेवा नहीं है केवल सड़कों द्वारा ही सारा यातायात होता है। जब हम 14 प्रतिशत वैट लेते थे 20 प्रतिशत से कम करके, तब भी पंजाब और हरियाणा ने सस्ता रखा। मुख्य मंत्री महोदय को भी याद होगा, कितनी बार इन्होंने भी कहा और हम भी बात उठाते थे कि सबसे ज्यादा नुकसान हमें युनियन टैरिटरी चण्डीगढ़ के कारण होता था क्योंकि वे टैक्स नहीं लगाते थे। तो सबसे सस्ता वहां मिलता था और पंजाब में मिलता था। आप हर चीज को इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने करना था, बढ़ाना था, तो हमने भी बढ़ा दिया और केन्द्र ने अगर एक्साइज ड्युटि बढ़ाई है तो राहत देने की बजाए

27/03/2015/1155/MS/JT/2

हमने जनता पर और बोझ डाला है। सवाल यह है कि केन्द्र में एक्साइज ड्युटि बढ़ाई हुई थी। सरकार की मंशा हिमाचल के कन्ज्यूमर को राहत देने की होती तो वैट को कम करती या कम-से-कम जितना पहले चल रहा था, उतना ही रखती। आपकी

पहले पंजाब और हरियाणा ने कभी नहीं सुनी जब आपने उनको कहा कि 4250 करोड़ रूपये हमारा BBMB का एरियर दे दो। आप उनकी बात कैसे मान गए? जबकि आपको पैसा लेने के लिए सूट कर रहा था, लोगों पर बोझ डालने के लिए सूट कर रहा था तो आपने उनकी बात मान ली। उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। इसलिए अध्यक्ष जी, हम आग्रह कर रहे हैं कि जो राहत देनी चाहिए थी, आप उससे कम न करे और पुराना रेट बहाल किया जाए ताकि जो राहत उपभोक्ताओं को मिलती थी, वह मिले और 8.50 प्रतिशत के हिसाब से ही वैट लगाया जाए।

Speaker: The decision is to be taken by the Government.

अगला प्रश्न श्रीमती आशा कुमारी। (व्यवधान)

27/**03/2015/1155/MS/JT/3**

प्रश्न संख्याः 1797

श्रीमती आशा कुमारीः प्रश्न संख्या 1797.

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

Speaker: Just a minute.

मुख्य मंत्रीः जो विस्तृत जवाब हमारे आबकारी एवं कराधान मंत्री जी ने दिया है , it is based on facts. (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंहः मंत्री जी गुमराह कर रहे है।

मुख्य मंत्रीः बिल्कुल नहीं। It is based on facts. जो अंत में माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने कहा it is nothing more than suggestion for action. It is not a question. It is a suggestion for action and we have taken note of it.

डॉ0 राजीव बिंदलः 70 रूपये का डीजल 45 का हो गया और इन्होंने यहां रेट बढ़ा दिए। (व्यवधान)

अध्यक्षः कृपया, बैठ जाइए। (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए)। (व्यवधान)

श्री जे0के0 द्वारा जारी-----

27.03.2015/1200/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1796:-----जारी----

मुख्य मंत्रीः ____(व्यवधान)____अभी तो मैं रेणूका डैम के बारे में बोलूंगा और आपका उसके अंदर क्या रोल है ____(व्यवधान)____अगर इन्होंने कोई गलत बोला है then you bring a breach of privilege against him. ____(व्यवधान)____

प्रश्नकाल समाप्त।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

27.03.2015/1200/जेके/एजी/2

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विपक्ष को पूरी तरह से कॉर्नर कर दिया है । इनके पास लॉजिक नहीं था इसके बावजूद भी ये बाहर गए हैं और हम इसकी भर्त्सना करते हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने प्रश्न उठाया वही इनको उल्टा पड़ गया और यह साबित हो गया कि जो इंटरनेशनल प्राईसिज़ पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हैं उससे कहीं ज्यादा कीमत पर देश के अन्दर केन्द्र सरकार ने इसके ऊपर वैट लगाया है उसकी वजह से पैट्रोल/डीज़ल के रेट बढ़े हैं। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा पड़ौसी राज्य हैं । जब भी वे टैक्सेशन की बात करते हैं खासकर पैट्रोल और डीज़ल के ऊपर

आपस में बातचीत करके यह करते हैं ताकि समता रहे। इन्होंने सोचा था कि हम कांग्रेस को घेरेंगे लेकिन उल्टे ये ही घिर गए। इनके पास इसका ज़वाब भी नहीं है इसलिए इनको सदन से भागना पड़ा और पंजाब और हरियाणा में भी एक जगह भाजपा की सरकार है और एक जगह भाजपा सम्बन्धित सरकार है पंजाब के अंदर।

अध्यक्षः धूमल साहब ने जो सजैशन दी थी and on that no clarification was required by the Minister.

27.03.2015/1200/जेके/एजी/3

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

27.03.2015/1200/जेके/एजी/4

अध्यक्षः अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) जे0पी0 सूचना प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14;

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(a), और 10(1) के अन्तर्गत प्राथमिक गृहस्थियों के चयन

हेतु मार्गदर्शिका जोकि अधिसूचना संख्याःएफडीएस-ए(3)-02/2009 दिनांक 01.08.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.03.2014 को प्रकाशित;

(iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(j), और 29(1) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता समिति जोकि अधिसूचना संख्याःएफडीएस-एफ(6)3/2010 दिनांक 01.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित;

(iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(c,d &e), और 15(2) के अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति जोकि अधिसूचना संख्याःएफडीएस-ए(3)02/2009-I दिनांक 12.09.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.02.2014 को प्रकाशित;

(v) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(j), और 29(1) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकान स्तर की सतर्कता समिति स्थापित करना जोकि अधिसूचना संख्याःएफडीएस-एफ(6)3/2010 दिनांक

27.03.2015/1200/जेके/एजी/5

20.11.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.02.2014 को प्रकाशित; और

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(j), और 29(1) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता समिति जोकि अधिसूचना संख्याःएफडीएस-एफ(6)3/2010 दिनांक 21.08.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.08.2014 को प्रकाशित।

27.03.2015/1200/जेके/एजी/6

सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य माननीय सदन में आकर अपने-अपने स्थान पर बैठ गए।)

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का 94वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 95वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 96वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 71वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है ; और

(iv) समिति का 97वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 73वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है ।

27.03.2015/1200/जेके/एजी/7

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूंः-

(i) समिति का 34वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित की गतिविधियों के समस्तरी अध्ययन पर आधारित है; और

(ii) समिति के 79वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 11वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का 16वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि राजस्व विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का 17वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

27.03.2015/1200/जेके/एजी/8

अध्यक्षः अब श्री कर्ण सिंह सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15), समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि वन विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कर्ण सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15), समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि वन विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

माननीय अध्यक्ष श्री एस.एस. की बारी में--------

27.03.2015/1205/SS-AG/1

<u>वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान</u>
<u>वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।</u>

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री, जिनके पास वित्त विभाग भी है, की ओर से सभी मांगों को सभा में प्रस्तुत हुआ समझता हूं जोकि इस प्रकार हैं:-

27.03.2015/1205/SS-AG/2

Demand No.	Services and purposes		Voted by the Legislative Assembly ₹
1	2		3
1	Vidhan Sabha	(Revenue) (Capital)	22,62,62,000 55,00,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	8,72,59,000
3	Administration of Justice	(Revenue) (Capital)	1,15,61,49,000 4,06,00,000
4	General Administration	(Revenue) (Capital)	1,47,52,17,000 1,00,00,000
5	Land Revenue and District Administration	(Revenue)	5,63,60,13,000
6	Excise and Taxation	(Revenue) (Capital)	51,41,44,000 2,17,00,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue) (Capital)	8,01,19,36,000 30,74,00,000
8	Education	(Revenue) (Capital)	46,43,81,34,000 52,11,01,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue) (Capital)	15,07,31,63,000 51,54,00,000
10	Public Works- Roads, Bridges and Buildings	(Revenue) (Capital)	24,46,71,39,000 8,90,26,30,000
11	Agriculture	(Revenue) (Capital)	3,44,13,67,000 61,52,80,000
12	Horticulture	(Revenue) (Capital)	2,15,21,03,000 8,26,55,000
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue) (Capital)	18,91,17,20,000 5,61,17,00,000
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries	(Revenue) (Capital)	2,81,69,31,000 4,12,00,000
15	Planning and Backward Area Sub-Plan	(Revenue) (Capital)	81,83,82,000 1,74,69,00,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue) (Capital)	4,08,73,65,000 2,20,99,000

17	Election	(Revenue)	16,62,70,000
18	Industries, Minerals, Supplies and Information Technology	(Revenue) (Capital)	72,28,70,000 61,83,01,000
19	Social Justice and Empowerment	(Revenue) (Capital)	6,00,00,03,000 9,35,00,000
20	Rural Development	(Revenue) (Capital)	11,85,07,26,000 1,35,00,000
21	Co-operation	(Revenue)	29,56,67,000
22	Food and Civil Supplies	(Revenue) (Capital)	2,31,74,45,000 2,63,02,000
23	Power Development	(Revenue) (Capital)	4,44,86,69,000 3,84,59,01,000
24	Printing and Stationery	(Revenue)	25,59,72,000
25	Road and Water Transport	(Revenue) (Capital)	1,72,67,77,000 35,35,00,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue) (Capital)	37,37,82,000 2,90,00,000
27	Labour, Employment and Training	(Revenue) (Capital)	2,12,11,62,000 81,06,01,000
28	Urban Development, Town and Country Planning and Housing	(Revenue) (Capital)	2,11,29,06,000 19,14,00,000
29	Finance	(Revenue) (Capital)	41,13,40,30,000 11,57,50,000
30	Miscellaneous General Services	(Revenue) (Capital)	73,32,40,000 68,37,01,000
31	Tribal Development	(Revenue) (Capital)	7,74,67,62,000 2,09,83,62,000
32	Scheduled Castes Sub-Plan	(Revenue) (Capital)	5,64,12,50,000 6,56,01,01,000
	Total	**(Revenue)**	**2,22,96,08,15,000**
		(Capital)	**33,88,40,84,000**
		Grand Total	**2,56,84,48,99,000**

विपक्ष की ओर से अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु प्राथमिकताओं का जो क्रम प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप में उनको सभा में चर्चा एवं मतदान हेतु रखूंगा। इससे पूर्व कि अनुदान मांगों की चर्चा आरम्भ हो मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपनी-अपनी बात संक्षेप में रखें ताकि ज्यादा-से-ज्यादा अनुदान मांगों पर विचार हो सके। अब सर्वप्रथम मैं मांग संख्या-7 को चर्चा एवं मतदान हेतु लेता हूं।

प्रस्ताव हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-7, पुलिस और सम्बद्ध संगठन के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर-3 में दर्शाई गई धनराशियां, जोकि क्रमशः 8,01,19,36,000/- व 30,74,00,000/- हैं, संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से दे दी जाएं।

अब इस पर सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, श्री रिखी राम कौंडल, श्री रविन्द्र रवि और श्री सुरेश भारद्वाज जी (श्री गोविंद सिंह ठाकुर, अनुपस्थित) की ओर से दो कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या मैं उनकी ओर से प्रस्तुत हुए समझूं?

माननीय सदस्यगणः अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत हुए समझे जाएं।

अध्यक्षः कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए जोकि इस प्रकार हैंः-

27.03.2015/1205/SS-AG/5

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2015-2016 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्याः 7 - पुलिस और सम्बद्ध संगठन

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव मांग संख्या
1.	नीति का अननुमोदन	7

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
''**पुलिस और सम्बद्ध संगठन**''
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री ईश्वर दास धीमान,
श्री रिखी राम कौंडल,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री गोविद सिंह ठाकुर,
श्री रविन्द्र सिंह।

1. सरकार की वर्तमान कानून व्यवस्था की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की पुलिस जवानों की भर्ती व तैनाती की नीति का अननुमोदन।

27.03.2015/1205/SS-AG/6

अब मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध हैं। अब श्री ईश्वर दास धीमान अपनी बात रखेंगे।

श्री ईश्वर दास धीमानः अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार वैल्फेयर सरकार कहलाती है और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को ठीक रखना, प्रदेश का विकास करवाना, लोगों की जान और माल की हिफाज़त करना, लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना, ये उस सरकार का दायित्व बन जाता है..

जारी श्रीमती के0एस0

27.03.2015/1210/केएस/जेटी/1

श्री ईश्वर दास धीमान जारी---
लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना यह उस सरकार का दायित्व बन जाता है लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे पहले सबसे बड़ा काम जो सरकार का है वह अपनी कानून व्यवस्था को ठीक रखने का है। अगर कानून व्यवस्था ठीक रहेगी तो सरकार अच्छा काम कर सकेगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी और विकास के कार्य भी चलेंगें। मैं मांग संख्या-7 पर कानून व्यवस्था के बारे में प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे लगता है जो 29 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला हुआ, सरकार को पता था, पुलिस को पता था और किसी की आंख फट गई, किसी का बाजू टूट गया, 20 लोग और छोटे-मोटे घायल हो गए।उसके बाद भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ, कोई इन्क्वायरी नहीं हुई, किसी किस्म की कोई पूछताछ नहीं हुई और क्लीन चिट दे दी गई । माननीय मुख्य मंत्री महोदय, क्या यह ठीक कानून व्यवस्था है? क्या आप यह परिचय दे रहें हैं कि आप सत्ता में हैं और आप जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं? जांच पर चर्चा के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने अभी तक आज्ञा नहीं दी । मुझे लगता है कि सारे देश में शायद ही किसी एक राजनीतिक दल के नौजवानों ने दूसरे राजनीतिक दल के कार्यालय के ऊपर हमला किया हो। जिसकी इस हमले में आँख चली गई, जब वह

चण्डीगढ़ में दाखिल हुआ तो पी.जी.आई. में डॉ0 का यह कहना था कि यहां पर ऐसा नहीं होता था। ऐसा तो उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब में होता था। इस देवभूमि में ऐसा

27.03.2015/1210/केएस/जेटी/2

नहीं होता था परन्तु कांग्रेस के लोगों आपने वह भी कर दिखाया। एक कलंक आपके माथे पर लग गया है। राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से आपने इस प्रदेश को बदनाम कर दिया। हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय से जांच मांगते रहे परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। इसका क्या कारण है? यह दर्शाता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां पर खड़ी है । मैं अगर उदाहरण के तौर पर यहां कुछ बातें रखूं तो आप स्वयं ही जान जाएंगें कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है। पिछले 9-10 महीने में 12,510 केस दर्ज हुए और यदि मैं यह कहूं कि ये अपराधिक मामले---

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

27.3.2015/1215/jt/av/1

श्री ईश्वर दास धीमान जारी----------

12,510 केस दर्ज हुए हैं। मैं तो यह कहूंगा कि ये आपराधिक मामले इस देव भूमि को कलंकित कर रहे हैं। पुलिस की क्राइम रिपार्ट के अनुसार भी पिछले दस मास में चोरी, डकैती, सेंधमारी, छेड़छाड़, मंदिरों में चोरी, सीनाजोरी के काफी मामले सामने आए हैं। मैं उन सभी मामलों के बारे में यहां समय की कमी के कारण अभी नहीं बता पाऊंगा। मगर यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के साथ हुए अत्याचार/ दूराचार के 1450 मामले सामने आये हैं। मुझे यहां यह कहते हुए शर्म आती है कि 216 मामले तो ऐसे हैं जिसमें उनकी इज्जत और मान-सम्मान को तार-तार करके रख दिया। सौ से अधिक मामले हत्याओं के आए जिनमें 53 मामले महिलाओं से सम्बंधित हैं। 383 मामले छेड़खानी के, बलात्कार के 96 मामले, 222 मामले अपहरण के, 632 मामले सेंधमारी के, चोरी के 518 मामले। मैं इन सभी मामलों के बारे में सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इनमें से कितने मामलों में दोषी पकड़े गये, कितनों को सजा हुई और कितने अभी तक जांच में पड़े हैं? कितने मामलों में तफ्तीश हुई, यह लोगों को बताना चाहिए। दर्ज किए गए मामलों में से अभी तक

कितने हल हुए, कितनों पर कार्रवाई हुई और कितनों में आप कामयाब हुए? अगर ये मामले हल नहीं होंगे तो यह सिलसिला नहीं रुकेगा। जैसे मैंने कहा कि नौजवानों की तरफ से हो रहे इस तरह के मामले उनके भविष्य को भी खतरे में डालते हैं और हमारी संस्कृति पर भी बट्टा लगाते हैं। ये बच्चे आगे चलकर अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। मैं आज सुन रहा था, यहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अपराधों का ग्राफ कम हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है मगर अपराध हो रहा है। इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं कि हमारा प्रदेश इनसे कलंकित हो रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन मामलों को प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। ये अपराध की घटनायें तब घटेगी जब पहले हुए आपराधिक मामलों पर ठीक कार्रवाई हुई होगी और लोगों में डर पैदा होगा। लोग यह समझते हैं कि मामला दर्ज होता है और केस वर्षों चले रहते हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तथा बाद में छूट जाते हैं। इसमें कई बार देरी का कारण राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है। अरे!

27.3.2015/1215/jt/av/2

कानून बरकरार रखने के लिए हस्तक्षेप मत कीजिए। हम भी चुने हुए लोग हैं और हमारे पास भी शिकायतें आती हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जिसने गलती की है, जिसने चोरी की है, जिसने हत्या की है; उसको सजा मिलनी चाहिए। जांच ईमानदारी से हो और अगर जांच ईमानदारी से होगी तो दोषी पकड़े जायेंगे। उनको सजा मिलेगी। इससे एक मैसैज जाता है----------

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

27.03.2015/1220/negi/jt/1

श्री ईश्वर दास धीमान.. जारी...

और एक संदेश जाता है सारे प्रदेश में कि अगर हम फ्लाँ गलती करेंगे तो उसकी हमें सजा मिलेगी । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति वर्ग के उत्पीडन के मामले आए। श्री रविन्द्र सिंह रवि जी और उपाध्यक्ष महोदय, 63 मामले इनके उत्पीडन के हैं, इनको कौन हल करेगा? सरकार हल करेगी या पुलिस का महकमा हल करेगा ? आबकारी एवं कराधान के अधीन, यह बड़ा गम्भीर मामला है, शराब का या दूसरी

चीज़ों का 1117 मामले दर्ज़ हुए। कितने लोगों को सज़ा मिली? कितने लोगों को जुर्माना हुआ? कितने लोगों को कोर्ट में ले गये? ये सारी तत्कालिक जांच होती रहे, तत्कालीक प्रकिया चलती रहे। अगर सरकार सतर्क रहे, महकमा सतर्क रहे तो आने वाले समय में ये मामले कम हो सकते हैं। लेकिन शराब वालों को कोई रोकता नही है। वे 10 दिन के बाद छूट जाते हैं, महीने के बाद छूट जाते हैं और फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह ये 46 अपराधिक मामले है । और भी प्रतिदिन हो रहे हैं । 46 मामले खास करके आबकारी एवं कराधान विभाग के हैं इनपर अंकुश लगाने का सरकार का पहला काम होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त विशेष करके महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होती है या उनके साथ जो ज्यादती होती है कुछ मामले तो शर्म से दर्ज़ नही होते हैं क्योंकि महिलाएं समाज से शर्म करते हैं और बदनाम भी होते हैं । अब ज़रा महिलाओं में थोड़ा साहस आया है कि वह अपनी बात को जा करके थानों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जितने मामले मैंने बताए इससे भी ज्यादा मामले सरकार के ध्यान में नहीं आते, उनको रोकने में भी या उनको रूकने में भी यह मदद मिलेगी अगर तत्परता से सरकार काम करे और महकमा काम करे।

अध्यक्ष महोदय, कत्ल तो सुने थे, हत्याएं सुनी थी लेकिन ऐसा बहुत कम सुना था कि चौपाल में गोली चली, किसी की हत्या हुई और दूसरे दिन जिसने हत्या की उसकी भी हत्या हो गई। कौन इसके पीछे है? यह तो निश्चित तौर पर पुलिस का

27.03.2015/1220/negi/jt/2

काम है । यह कैसे हो गया दुसरा कत्ल? ऐसा बहुत कम देखने में आया है। मैं तो वीरभद्र सिंह जी को इतना ही कहूंगा किः-

रात का जिक्र न कर, रात तो गुज़र गई।
अब सहर तू यह बता कि, रौशनी कहां गई।

यह क्या हो रहा है ? दोहरा कत्ल। पुलिस वहां पर बैठी हुई है। पुलिस ने घेरा डाला हुआ है । मैं यह नहीं कहता कि उसने गोली ठीक चलाई । उसने भी जुर्म किया ।

उसको उसकी सजा मिलती। उसपर केस चलता और उसको फांसी भी हो सकती थी । लेकिन यह क्या नमुना है इस व्यवस्था का कि जिसने गोली चलाई, गांव वालों ने इकट्ठे हो करके उसकी भी हत्या कर दी । आपने इसका नोटिस लिया? आपके मन में एक बात आई कि यह बहुत ही गलत हो रहा है। मित्रो,..

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

27.03.2015/1225/यूके/एजी/1

श्री ईश्वर दास धीमान-----जारी--

मित्रों इसका संदेश अच्छा नहीं जा रहा है, आपके कानून और व्यवस्था का । अगर कारण है, इस प्रदेश के पीछे जाने का तो यह कारण है कि वही जुल्म और वही जुर्म हो रहा है जो किसी और प्रदेश में होता है । यह आपने देखना है कि इस पर क्या कार्रवाई की जाए । बालूगंज थाने में एक केस आया, जगदीश शर्मा का, अढाई लाख रूपए उससे लूट लिए और उसको जला दिया गया । पीछे से टेलीफोन आता है कि आरा मशीन से कट कर के यह मर गया । क्या पुलिस इस गहराई में गयी, क्या पुलिस ने खोज की ? अगर ऐसा होता रहा तो यह प्रदेश कहां पहुंचेगा ? इस तरह के जो बहुत से जघन्य अपराध हो रहे हैं, जैसे हमीरपुर जिले में आदित्य कुमार, बच्चा है, सुपुत्र अरूण कुमार, दो महीने से लापता है । उनका एक-एक बच्चा था । वह तो तब पता चले जब किसी का अपना बच्चा गुम हो जाए । अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो आदमी एक-दो घंटे में पागल हो जाता है, यह कोई छोटी बात नहीं है । बच्चों का गुम होना, यह बहुत संजीदा बात है । मेरे मित्रों इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है । हमीरपुर में ही जेल से 5 कैदी भाग गए । अभी तक भी दो कैदी फरार हैं । ऐसा भी किसी प्रदेश की जेलों में हो सकता है कि कैदी ही भाग जाते हैं? कहां रहते हैं पुलिस वाले, क्या करते रहते हैं ? वे वहां से रास्ते बनाते रहते हैं भागने के लिए और सरकार सोई रहती है । कहां गए वे दो मुजरिम, हम उनको ढूंढने मे नाकामयाब रहे । अब रिपन में ही एक ड्राईवर कंडक्टर को मार देता है । खुद भाग जाता है । तो जिस तरह इस मामले में यहां कार्यालय में पुलिस भी संलिप्त थी तो क्या सारे प्रदेश में पुलिस संलिप्त हो जाती है? सुना यह गया था कि वह पुलिस की मदद से ड्राईवर उस समय बचा और अभी तक बच रहा है । यह जो कुछ हो रहा है, यह कानून और व्यवस्था की दृष्टि से अच्छा नहीं हो रहा है। शिमला, कांगड़ा,

सिरमौर और विशेषकर नालागाढ़ में, कोई दिन ऐसा नहीं है जब दो-चार हत्याएं, चोरी डकैती, मारपीट यह न हो । क्या आपको कभी ध्यान आता है कि यह क्यों हो रहा है ? यह ठीक है, जुर्म होगा, कम करने की आवश्यकता है, इसको । समाज है कई किस्म के लोग रहते हैं, उनकी कई किस्म की वृत्तियां होती हैं और कुछ लोगों को तो यही काम है गलत करने का, पैसा कमाने का । आपने कभी ढूंढा कि कारण क्या हैं इनके? कारण तो इनके मुझे लगता है, एक तो पैसा है । पैसे के लिए लोग

27.03.2015/1225/यूके/एजी/2

कत्ल करते हैं । जब भी इनको वक्त मिलता है वे कत्ल कर देते हैं । एक नशा है, सबसे बड़ी बात तो नशे की है । नशे को कंट्रोल करने में सरकार क्या कर रही है? इतना कुछ यहां से ड्रग्स के रूप में, नशे के रूप में स्मगल होता है । यदि जाता है तो आता भी होगा । तो यह पैसा, नशा और सैक्स । सैक्स की वजह से कत्ल होते हैं । आपसी रंजिश की वजह से भी कत्ल होते हैं ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी ----

27.03.2015/1230/sls-jt-1

श्री ईश्वर दास धीमान ...जारी

पिछले 126 दिनों में हमीरपुर जिले में 8 कत्ल हो गए। आप बताएंगे कि उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? क्या कोई हत्यारा मिला या पकड़ा गया? क्या किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई? मुझे लगता नहीं है कि सरकार ने यह कोशिश भी की होगी। सरकार को चाहिए कि वह महकमे को सख्त आदेश देकर इनकी जांच करे और हत्यारों का पीछा करे। पुलिस ने तो अपने तौर पर बहुत कुछ करना होता है और करना चाहिए। अगर इन बातों को नहीं रोकेंगे तो अपराध नहीं रुकेंगे। अगर अपराध नहीं रुकेंगे तो आने वाली संतानें आपको माफ नहीं करेंगी। यह अपराध बढ़ते ही जाएंगे और हमारी संतानें बिगड़ती ही जाएंगी। आपको इस बात का ख़याल रखना होगा। हमीरपुर की ही दूसरी बात करूं। वहां गांव में कोई पंखे से लटका मिला और बाद में उसका पता ही नहीं लगा। सुजानपुर में एक पति ने पत्नी को ही मार दिया। कभी पति पत्नी को मार देता है तो कभी पत्नी पति को मार देती है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में अपनी बात कह कर वाईंड अप कीजिए।

श्री ईश्वर दास धीमान : यह समाज के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। यह किस तरह का समाज निर्मित हो रहा है। मित्रों, अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाला समय अच्छा नहीं है। ...(व्यवधान)... वीरभद्र सिंह जी, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपका बड़ा आदर करता हूं। आपने कोशिश की होगी लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। अगर आपको वास्तविकता सुनने में भी दर्द होता है तो I am very sorry.

Speaker : Please wind up.

श्री ईश्वर दास धीमान : तस्करी की बात करता हूं। जैसे मैंने कहा कि सभी युवा इस नशे में संलिप्त हैं; चाहे चरस हो, भांग हो, पोश्त हो, अफीम हो या और कोई नशा हो। कुल्लू मनाली से रोज़ाना कोई-न-कोई ख़बर आती रहती है। वहां अड्डे बने हुए हैं। हमीरपुर में अड्डा, ऊना में अड्डा, मण्डी में अड्डा और यह सब जिलों में है। मण्डी

27.03.2015/1230/sls-jt-2

और कुल्लू मनाली में तो बहुत बुरा हाल है। इनका बसों में आना-जाना है। अरे, बसों और गाड़ियों में भी आप पकड़ नहीं कर सकते? हर रोज कोई-न-कोई मामला होता रहता है और सरकार सोई रहती है। यह नशा कहां जाता है? यह नशा स्कूलों में बच्चों को जाता है, कॉलेजों में बच्चों को जाता है, घरों तक पहुंचता है और नशेड़ियों तक पहुंचता है। इसको देखकर हमारी संताने इसी तरह का प्रचलन करती हैं।

उदाहरण के तौर पर मैंने यह चंद एक बातें आपके समक्ष रखीं हैं। कटौती प्रस्ताव है और माननीय अध्यक्ष जी का आदेश है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

मै बजट देख रहा था। आपको 3000 सिपाहियों की ज़रूरत है और आप 800 का प्रबंध कर रहे हैं। फिर यह क्राईम कहां रुकेगा? माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको 3000 सिपाही चाहिए और आपने 800 की रिक्वीजीशन दी है। वह भी अगले वर्ष के

लिए कहा है। पिछले वर्ष जो आपने कहा था वह पूरा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अगले वर्ष भी इसकी रैपिटीशन होगी। हमारी ये प्रार्थना है कि यह रैपिटीशन न हो।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब प्लीज समाप्त करें।

श्री ईश्वर दास धीमान : पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने और महिलाओं के लिए थाने बनाने की आपने कोशिश की है। मुझे लगता है ..

जारी .. श्री गर्ग जी

27/03/2015/1235/RG/JT/1

श्री ईश्वर दास धीमान------क्रमागत

आपने इस विभाग को सुदृढ़ करने की कोशिश की है, महिलाओं के लिए थाने बनाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि धर्मशाला और शिमला में आपने महिला थाना बनाया, मण्डी में भी बनाया और अब बद्दी एवं कुल्लू में महिला थाने बनाने की आपकी प्रपोज़ल है। मेरा अनुरोध है कि ये हर जिला एवं मुख्यालय पर बनने चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है और महिलाओं को इससे बहुत सुविधा मिल रही है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

श्री ईश्वर दास धीमान : आपने कहा है कि 139 जो हमारी चौकियां हैं--(घण्टी)--उनको सब-थाना या छोटा थाना बना दिया जाएगा और उनमें भी एफ.आई.आर. दर्ज करने की इजाजत होगी। यह अच्छी बात है। लोग ज्यादा सफर और दिक्कत से बचेंगे। क्योंकि विशेषकर औरतों के लिए दूर जाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं कि अगर ज्यादा-से-ज्यादा थाने बनाने का आप प्रयत्न करेंगे, तो हो सकता है कि महिलाओं पर जो अत्याचार, बलात्कार या छेड़छाड़ के जुर्म हो रहे हैं, उनको कम करने में आपको मदद मिले।

अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर मैं यह समझता हूं कि इस प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। दिन-दिहाड़े चोरियां, डकैतियां, कत्ल, सामने-

सामने और सार्वजनिक स्थानों पर हो रहे हैं। चाहे नशा हो, बलात्कार हो या अन्य कोई जुर्म हो, औरतों के गले से चेन छीन ली जाती हैं, अंगूठियां उतार ली जाती हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आप पहले भी बोल चुके हैं, अब आपने काफी बोल लिया। कृपया समाप्त करें।

श्री ईश्वर दास धीमान : ये चीजें छोड़ते ही नहीं हैं। इस तरह बड़े-बड़े अपराध यहां हो रहे हैं और लगता है कि सरकार इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यही अनुरोध करना है कि अगर आप अपने प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, इसको विकसित देखना चाहते हैं, इस प्रदेश को जुर्म से निजात दिलाना चाहते हैं, तो इस कानून-व्यवस्था को आपको ठीक करना होगा। सर्तक रहना होगा। यह सबकी जिम्मेवारी है, इसमें सब सहयोग करें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा हिमाचल भविष्य में बनने की संभावना हो सकती है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। समाप्त -/

27/03/2015/1235/RG/JT/2

अध्यक्ष : अब श्री रिखी राम कौंडल जी चर्चा में भाग लेंगे। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि संक्षेप में बोलें ताकि सभी बोल सकें। अभी धीमान जी आधा घण्टा बोलकर चुके हैं। इसमें आपको ही सुविधा होगी क्योंकि जो चीज आप संक्षेप में बोलेंगे ज्यादा-से-ज्यादा मुद्दे उठा सकेंगे।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, यह कटौती प्रस्ताव है और कटौती प्रस्ताव पर तो विपक्ष का ही बोलने का अधिकार होता है। इसलिए इस पर राइडर न लगाया जाए और जो बात एक बार कह दी है वह रिपीट न हो। विपक्ष के सदस्य तो अपनी बात रखेंगे ही।

अध्यक्ष : शायद आप नियमों से अनभिज्ञ हैं। ऐसा है कि कटौती प्रस्तावों पर भी समय दिया जाता है, तो समय को व्यवस्थित करना मेरा फर्ज़ है। It cannot be possible that you speak for four hours.

श्री रिखा राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने नियमों की बात की, तो मैं भी इस कुर्सी पर दो बार सुशोभित हो चुका हूं और मुझे भी नियमों के बारे में मालूम है और हम नियमों के मुताबिक ही यहां विधान सभा में खड़े हैं, बोल रहे हैं और बोलेंगे।

अध्यक्ष : क्या मैं आपको नियम पढ़कर बता दूं? You cannot expect that you should speak for two hours. आपको अपने को समय-सीमा में सीमित रखना पड़ेगा।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, यह जो कानून-व्यवस्था पर कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिए हैं जिसमें श्री ईश्वर दास धीमान, मेरा नाम है, श्री सुरेश भारद्वाज, श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर और श्री रविन्द्र सिंह जी के नाम हैं। ये कटौती प्रस्ताव देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने में यह सरकार नाकाम रही है।

अध्यक्ष महोदय, यह देश गुलाम था यहां काफी देर तक अंग्रेजों का शासन रहा और अंग्रेजों के शासन के समय राजा-रजवाड़ों का भी राज रहा। हिन्दुस्तान आजाद हुआ और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडर ने संविधान की स्थापना की। उस संविधान के तहत हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

27/03/2015/1240/MS/AG/1

श्री रिखी राम कौंडल जारी---------
उस संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया कि उसकी जान और माल की रक्षा सरकार करे। उस संविधान के तहत ही हम यहां सदस्य बनकर आए हैं। आरक्षित सीटों से भी संविधान के मुताबिक ही चुनकर आए हैं और अन्य सीटों पर भी संविधान के मुताबिक ही आए हैं। अगर उस संविधान की अनुपालना सरकार न करे तो क्या हम कह सकते हैं कि वह सरकार एक अच्छी सरकार है? या यह नाकाम सरकार है? मेरा इस माननीय सदन के अंदर आरोप है कि जो संवैधानिक अधिकार कानून-व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सरकार को मिले हैं उसमें सरकार नाकाम रही है।

आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पांच साल बाद प्रजातंत्र में चुनाव का समय आता है और अपना-अपना घोषणा पत्र लेकर पार्टी लोगों के बीच जाती है। उसमें आपने वायदा किया था कि अगर हम जीतकर आएंगे तो हम कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करेंगे और हर व्यक्ति की जान और माल की रक्षा करेंगे। महिलाओं पर पिछली सरकार के समय जो ज्यादा अत्याचार हुए उनको हम काबू में करेंगे। डकैती के मामलों पर काबू करेंगे। यह थोड़ी सी रूप-रेखा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। महिलाओं के प्रति सरकार बड़ी संवेदनशील है और हर बार महिलाओं की ज्यादा बात यहां की जाती है। कल भी लिंग भेद के बारे में प्रश्न आया था तो उसमें भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया और माननीय सरवीन चौधरी जी ने जो बजट भाषण में महिलाओं के बारे में चर्चा की थी, उस पर भी मुख्य मंत्री जी ने बहुत सद्भावनापूर्वक तरीके से कहा कि मेरे राज में मेरे प्रदेश की महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं। वर्ष 2012 में चुनाव हुए और वर्ष 2013 में आपकी सरकार बनी। वर्ष 2014 में भी आपका राज था। आज वर्ष 2015 चल रहा है। मैं आपकी वर्ष 2013 की स्थिति बताता हूं। Crime against women वर्ष 2012 में 1024 था। मैं नहीं कहता कि पिछली सरकारों के समय में क्राइम घटा। कहीं बढ़ा भी है और कहीं घटा भी है। लेकिन उसको नियंत्रित करने में धूमल जी की सरकार कामयाब

27/03/2015/1240/MS/AG/2

रही। मैं वर्ष 2012 की फीगर बताता हूं , crime against women 1024 थे। जो आज हर जगह दर्ज हैं और आपकी वेबसाइट पर भी है। अब मैं आपको वर्ष 2014 की स्थिति बताता हूं। वर्ष 2014 में 1576 केस दर्ज हुए। अभी वर्ष 2015 चालू है। अभी भी crime against women का आंकड़ा 124 तक पहुंच गया है। आप कहां महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं? कौन सी कानून-व्यवस्था आपने सुधारी है? आप बड़ी-बड़ी ढींगे हांकते हैं कि हमने कानून-व्यवस्था को सुधारा है। मैंने केवल crime against women के बारे में आपके सामने आंकड़े रखे हैं।

दूसरी बात मैं दुर्घटनाओं के बारे में कहना चाहता हूं। दुर्घटनाएं कम नहीं हो सकतीं, दुर्घटनाएं होंगी लेकिन दुर्घटनाओं के लिए हमारा ट्रैफिक कन्ट्रोल होना

चाहिए और सड़कों की स्थिति ठीक होनी चाहिए। जब सड़कों की बात आएगी तब हम उसके बारे मे चर्चा करेंगे। उस पर भी हमने कटौती प्रस्ताव दिया है। ये दुर्घटनाएं ज्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि शराब माफियाओं को बढ़ावा मिल रहा है। लोग ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं और शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं। वर्ष 2012 में जब हमारी सरकार थी तो 5248 दुर्घटनाओं के केसिज रजिस्टर्ड हुए। वर्ष 2013 में 5081, वर्ष 2014 में 5680 और वर्ष 2015 में 595 दुर्घटनाओं के केस रजिस्टर्ड हैं। तो कहां कानून-व्यवस्था का सुधार किया है?

उसके बाद हरिजनों के आप बड़े हितैषी बनते हैं। जो आपने 40-45 साल तक इस प्रदेश में शासन किया है, वह अनुसूचित जाति के लोगों को बरगलाकर, उनको कर्जों में उलझाकर और उनको डराकर कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिनके आधार पर आप ज्यादातर सत्ता में आते हैं, मैं उनकी स्थिति आपको बताना चाहता हूं। जब नई-नई सरकार बनी थी तो वर्ष 2012 में 108 केस रजिस्टर्ड थे। नई सरकार से लोगों को थोड़ी आशाएं थी और थोड़ा डर भी था। जब मुख्य मंत्री जी आप इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बनें तो लगा कि अब सरकार बदली है तो उस समय थोड़ी सी इसमें कमी आई।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

27.03.2015/1245/जेके/एजी/1

श्री रिखी राम कौंडलः----**जारी**---------

उसमें थोड़ी सी कमी आई है वर्ष 2013 में केवल 84 केस अनुसूचित जाति व जनजाति के हुए हैं। जहां कमी आई है वहां पर मैं आपको बधाई देता हूं। वर्ष 2014 की क्या स्थिति है? उसमें 123 केस हो गए। जिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आप बड़े हितैषी बनते हैं,उनके वर्ष 2015 से अभी तक 12 केस हो गए हैं। अभी 2015 का वर्ष पूरा पड़ा है। यह स्थिति आपकी सरकार के टाईम की है। मैं यहां पर वस्तुस्थिति बता रहा हूं। मैं जो भी बोल रहा हूं वह फेक्ट के आधार पर बोल रहा हूं। मैं आपके सामने अनुसूचित जाति एवं जनजाति की वस्तुस्थिति रख रहा हूं, जिनके आप बड़े हमदर्द बनते हैं। अध्यक्ष महोदय एक्साईज एक्ट के तहत वर्ष 2013 में 737 केस थे। वर्ष 2014 में 1492 केस थे। ये केस कैसे बढ़े? शराब गांव-गांव में बिकना शुरू हो गया। इसमें कोई भी नियंत्रण नहीं रहा। ठेकों की निलामी के अन्दर जहां आपका

रेवन्यू बढ़ना था उसको नहीं बढ़ाया गया। गांव-गांव में शराब बिकनी शुरू हो गई। आप ऑर्डर दो और आपको घर में शराब मिल जाएगी। पुलिस को ऊपर से आदेश गए कि सख्ती करिए और तब भी आपके केस ज्यादा बढ़े। अगर आपका नियंत्रण शुरू में ठीक रहता तो जो केस एक्साईज के अण्डर है, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, वे नहीं बढ़ते। अभी 2015 चला हुआ है 367 केस इसमें हो गए है। एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वर्ष 2012 में जब हमारी सरकार थी उस समय केवलमात्र 513 केसिज थे। हम नहीं कहते हैं कि हमारी सरकार के टाईम में क्राईम नहीं हुआ। चाहे देश हो या प्रदेश जहां विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं वहां क्राईम बढ़ेगा। सरकार का दायित्व बनता है कि उसका नियंत्रण करें। वर्ष 2013 में 513 केस थे, तब माननीय धूमल जी की सरकार थी। वर्ष 2013 में आपकी सरकार आई और 513 से बढ़कर 531 केस हो गए। 2014 में आपके 644 केस हो गए। 531 से लेकर के 100 से ज्यादा केसिज की बढ़ौत्तरी एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत हुई। वर्ष 2015 में अभी तक 147 केसिज हो गए, जबकि अभी पूरा वर्ष है। यदि इसी रेशो से क्राईम बढ़ाता रहा तो 2015 में इसका आंकड़ा 644 से भी बढ़ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज कोई भी व्यक्ति इस प्रदेश में

27.03.2015/1245/जेके/एजी/2

अपने आपको सेफ महसूस नहीं कर रहा है। दुकानदार अपने को सेफ महसूस नहीं कर रहा है। गांव का आदमी अपने आपको सेफ महसूस नहीं कर रहा है। दुकानदार अपनी दुकानें बन्द करके रात को जाते हैं तो उनकी दुकानों के ताले टूट जाते हैं। 10-10 दुकानों के ताले टूटते हैं और वहां पर चोरी होती है। डकैती के केस आते हैं। वर्ष 2012 में डकैती के 10 केस थे। आपके 2013 में 14 केस हुए। 2014 में 14 से बढ़ कर 16 हुए। अब 16 केस और डकैती के हो गए। वैसे तो सत्ताधारी दल के लोगों की मज़बूरी है कि वे सरकार की तारीफ करें। धर्माणी जी आप को भी पता होगा कि बिलासपुर में क्राईम बढ़ा है या घटा है। लेकिन आपकी मज़बूरी है यहां पर मुख्य मंत्री की तारीफ करना, अपनी सरकार की तारीफ करना। वस्तुस्थिति को सदन के सामने रखना एक अच्छे पार्लियामेन्टेरियन का काम है। अगर आप सत्ताधारी दल में है और अगर आपके इलाके की कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप मुख्य मंत्री को बताईए। वहां पर सुधार करिए। कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसे बिगड़ रही है, उस पर मैं अंत में आऊंगा? यह तो मैं केवलमात्र ऑफिशियल फीगर्ज़ हैं उनका मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। वर्ष 2012 में 879 केसिज थे। वर्ष 2013 में थोड़े कम हुए यानि तीन

कम हुए। अब 2014 में 797 हुए। इन केसिज में जहां-जहां जिन जिलों में एस.पी. अच्छे लगाए हैं, ईमानदार ऑफिसर्ज लगाए हैं वहां पर थोड़ी सी कमी आई है। जहां पर ऑफिसर्ज़ पॉलिटिकल आधार पर लगाए हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तंग कर रहे हैं। वहां पर क्राईम कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चोरी के केसिज के बारे में चर्चा करना चाहता हूं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

27.03.2015/1250/SS-AG/1

श्री रिखी राम कौंडल क्रमागतः

हमने नियंत्रण रखा है। माननीय प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में जो सरकार थी, उस समय क्राइम पर नियंत्रण रहा चाहे डकैती के केस हों या कुछ भी हो। 2013 में आपकी सरकार आई। 818 केस हुए। 2014 में थैफ्ट के थोड़े केस कम हुए। जहां कम हुए, उसके लिए हम सरकार की तारीफ करते हैं। परन्तु अधिकांश जो विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत केस दर्ज़ होते हैं, उसमें एक-दो को छोड़कर अधिकांश मामलों में आपका क्राइम रिपोर्ट पहले से बढ़ा है।

अब मैं मर्डर पर आता हूं। आज इस प्रदेश के अंदर कोई भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मैं मर्डर केसिज़ का ज़िक्र करना चाहता हूं। 2012 में 113 थे। 2013 में थोड़े कम हुए जब आपकी नई सरकार बनी। जब नई सरकार बनती है तो जुर्म करने वाले जो लोग होते हैं वे थोड़ा महसूस करते हैं कि नई सरकार आई है थोड़ा डर के रहें। परन्तु जब सरकार बनने के बाद उनको संरक्षण मिलना शुरू हो जाता है तो वे क्राइम को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। इसका एक उदाहरण है कि 2014 में मर्डर के केसिज़ 130 हुए। 2015 में भी 16 हो गए। मैं अपने चुनाव क्षेत्र के एक मर्डर का उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में ऋषिकेश में पत्नी ने अपने पति का कत्ल कर दिया। दो महीने तक पुलिस ने उसकी अनट्रेस्ड रिपोर्ट दी और कहा कि यह आत्महत्या है। उसको आत्महत्या में कंवर्ट कर दिया। उसके बाद जब हमने पुलिस अधिकारियों के पास मांग रखी कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है आप इसकी अच्छे तरीके से जांच करवाईये। लोगों के हस्तक्षेप करने के बाद वे मोबाईल ट्रेस आउट करवाए। दो महीने के बाद दो-तीन व्यक्तियों को अरैस्ट किया गया। तब जाकर वे पकड़े गए। आपकी बिलासपुर की पुलिस ने जो वहां पर अधिकारी थे उन्होंने तो आत्महत्या की रिपोर्ट बना दी कि यह तो खुदकशी है। ऐसे

मर्डर के केसिज़ को खुदकशी मे कंवर्ट करने के लिए कारण क्या था? राजनीतिक हस्तक्षेप था। हमारे चुनाव क्षेत्र में जो बाहर के विधायकों का हस्तक्षेप है उसको मुख्य मंत्री जी आप रोक लीजिए। नहीं तो क्राइम घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। अपने चुनाव क्षेत्रों में इनकी क्या स्थिति है ये इसका अवलोकन करें। दूसरे चुनाव क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके जुर्म करने वाले आदमियों को संरक्षण देते हैं। मेरा इस माननीय सदन के अंदर आरोप है कि बिलासपुर के राजनीतिक क्षेत्र के कुछ व्यक्ति दूसरे चुनाव क्षेत्रों में जाकर क्राइम करने वाले लोगों को राजनीतिक संरक्षण देते हैं। उस पर रोक

27.03.2015/1250/SS-AG/2

लगाईये। आप मुख्य मंत्री हैं आपके पास सारी एजैंसियां हैं। आप कॉंफिडैंशियल रिपोर्ट मंगवाईये अपने-अपने विधायकों की जो राजनीतिक हस्तक्षेप दूसरे चुनाव क्षेत्रों में करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा केस मेरे चुनाव क्षेत्र झण्डुता बलघाट पंचायत में है। एक घर में शादी थी। शादी के लिए पूरी पंचायत को आमंत्रित किया। अब जहां गांव में शादी होती है तो पंचायत के प्रधान सबको आमंत्रित करते हैं। वीरभद्र सिंह जी आपको भी मालूम है कि जब आपने अपनी लड़की की शादी की रिसैप्शन दी तो उसमें कोई वैजिटेरियन खाने वाला होता है, कोई नॉन-वैजिटेरियन खाने वाला होता है। सबके लिए व्यवस्था करनी होती है क्योंकि घर का फंक्शन है। पर्सनल फंक्शन होता है और उसमें कुछ दूसरे लोग भी आते हैं उनके लिए गुप्त तरीके से इंतजाम करना पड़ता है। वे भी आशा रखते हैं कि शादी में जायेंगे तो कौन-सी हमें विस्की मिलेगी, कौन-सी स्कोच मिलेगी। --(व्यवधान)--दूसरे कुछ लोग होते हैं जो पर्दे में हैं। हम जो करते हैं सरेआम करते हैं। धर्माणी और बम्बर जी की तरह हम पर्दे में नहीं करते। हम जो करेंगे सरेआम करेंगे। पर्दे के पीछे रहकर हम प्लेबैक सिंगर का काम नहीं करते। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी इज्ज़त करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि हमने कुछ समय आपके साथ भी गुजारा हुआ है। उस समय जो आपकी मनोवृत्ति थी, आपकी काम करने की क्षमता थी, जो कार्यशैली थी, उसमें अब बहुत रात-दिन का अन्तर है। उस समय की आपकी कार्यशैली से हम बहुत प्रभावित थे और आज की कार्यशैली से बड़े पीड़ित हैं।

मुख्य मंत्रीः जब आपको अच्छा लगा तब आप इधर थे और जब बुरा लगा तो आप उधर हैं।

श्री रिखी राम कौंडलः ऐसी बात नहीं है। हम आज भी आपका सम्मान करते हैं कि आप अनुभवी और इस प्रदेश के सबसे पुराने राजनेता हैं। परन्तु अब जो आपका वर्किंग स्टाइल है, अधिकारियों के इशारे से पीड़ित करने का, राजनीतिक विरोधियों को दबाने का प्रयास आप कर रहे हैं, कृपया इसको बंद कर दीजिए।

जारी श्रीमती के0एस0

27.03.2015/1255/केएस/एजी/1

श्री रिखी राम कौंडल जारी---
राजनैतिक विरोधियों को दबाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, इसको कृपया बन्द कर दीजिए। आने वाले समय में जब कोई इतिहासकार हिमाचल प्रदेश का इतिहास लिखेगा, मुख्य मंत्री जी, जो आपकी कार्यशैली पहले रही है उसको बरकरार रखिए । उस इतिहास में कभी यह न लिखा जाए कि वीरभद्र सिंह जी जब छठी बार मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने अपने विरोधियों को बहुत प्रताड़ित किया। उनके घरो पर छापे डलवाएं, एक्साईज़ की रेड की, उनकी तलाशियां ली गई, उनका जुलूस निकाला। यह सब आपके संरक्षण में हुआ है क्योंकि क्या किसी ऑफिसर की हिम्मत होती है कि वह किसी विधायक के घर में रेड कर लें बिना मुख्य मंत्री और डी.जी.पी. को पूछे बिना? विधायक बनने के बाद मेरे घर में तलाशी ली गई।

मुख्य मंत्रीः कौंडल जी, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। मैं यह पहली बार सुन रहा हूं।

श्री रिखी राम कौंडलः मुख्य मंत्री जी, आपको कैसे पता नहीं है? यही तो आपकी कार्यशैली है, आप झूठ को सच ऐसे बना देते हैं कि सभी लोगों को लगता है कि आप सच ही बोल रहे हैं और उसमें हमेशा ही 80 प्रतिशत झूठ होता है।

मुख्य मंत्रीः माननीय कौंडल जी, मुझे सच में पता नहीं है कि आपके घर में कोई रेड हुई है। मैं आज यह पहली बार सुन रहा हूं लेकिन कोई वजह होगी, कोई कानूनी प्वाइंट होगा लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है?

27.03.2015/1255/केएस/एजी/2

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र का ज़िक्र कर रहा था। मुझे भी वहां से निमंत्रण आया था परन्तु मेरी खुश-किस्मती है कि मैं उस शादी में जा नहीं सका। अगर मैं चला जाता तो शायद मैं भी उनकी तरह बदनसीब हो जाता। उस गरीब ब्राह्मण ने अपनी शक्ति के मुताबिक लोगों को भोजन करवाया और सारी पंचायत के मैम्बरों को खाने-पीने का इंतज़ाम किया। उन सब लोगों ने वहां पर डांस किया। उसमें एक व्यक्ति जो पंचायत का मैम्बर था, वहां से चला गया और किन्हीं कारणों से उसका मर्डर हो गया दूसरे दिन उसकी लाश मिली और उन पंचायत के प्रधान जो भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं, बाबू राम जी और सारे पंचायत सदस्यों को बिलासपुर पुलिस ने इतना जलील किया, उनको टॉर्चर किया गया जबकि एक घर में अगर 10 लोग इकट्ठे हैं और शक के आधार पर केवल तीन लोगों को और जिसके घर पर शादी थी, उसको अरैस्ट किया गया और जब सबूत नहीं जुटा सके तो उनको तीसरे दिन छोड़ दिया गया तो क्या आपकी ऐसी कानून व्यवस्था अच्छी है? क्या मैं मान सकता हूं कि उन चुने हुए प्रतिनिधियों को जिस ढंग से पुलिस ने थाने में टॉर्चर किया, उस इन्वैस्टिगेशन के समय उनसे मार-पीट की गई, क्या आप इसको सहन करेंगें? हम तो सहन करने वालों में नहीं है। हमने इन्वैस्टिगेशन के समय हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, आपके राजनीतिक पार्टी के लोग बिलासपुर में पुलिस को मिलते हैं और उनको कहते हैं कि ये बी.जे.पी. के लोग हैं इनको टॉर्चर करो, इन्होंने मर्डर किया है। मुख्य मंत्री जी, इसकी छानबीन करवाएं।--घण्टी--

27.03.2015/1255/केएस/एजी/3

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल मनगढ़न्त आरोप है। अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे बताएं मैं जरूर इन्क्वायरी करवाऊंगा।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसकी छानबीन करिए। उनको क्यों टॉर्चर किया गया जब उनका कोई कसूर ही नहीं था। उनका कसूर सिर्फ यह था कि उन्होंने इकट्ठा बैठकर खाना खाया ।

मुख्य मंत्री महोदय, बाबा बालकनाथ में आजकल मेला लगा हुआ है। वहां कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए काफी मात्रा में पुलिस लगी है। वहां क्या हो रहा है? सड़क में जो गाड़ियां खड़ी हैं और जो पर्चियां काटने वाले प्राइवेट लोग हैं, वे सड़क में उनकी पर्चियां काट रहे हैं। समाचार पत्र में आज दिव्य हिमाचल में आया है कि दियोठसिद्ध में लूटे जा रहे हैं श्रद्धालु । कौन पर्यटक आएगा आपके प्रदेश के अंदर? जो आस्था की दृष्टि से बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में मत्था टेकने के लिए आते हैं, सड़क के किनारे उनकी गाड़िया खड़ी है और उनसे 50-50 रुपये की पर्ची ली जा रही है और जो आपने बॉर्डर पर लोग लगाए हैं, ठीक है कि कानून है कि एक ट्रक में ज्यादा लोग नहीं आ सकते परन्तु लोगों की आस्था होती है, शुरू से ही ऐसा चलता आया है। नैनादेवी में भी ऐसा होता है और जो ऐसी गाड़ियां आ रही है, बैरियर पर जो पुलिस तैनात हैं, जब तक वे पैसे नहीं देते हैं तब तक उनका ट्रक आगे नहीं भेजा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इशारा समझ गया, आप घंटी बजाने वाले हैं, मैं ही आपकी घंटी से पहले समापन करने वाला हूं।

27.03.2015/1255/केएस/एजी/4

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात कहना चाहूंगा कि यह क्राईम क्यों बढ़ रहा है? इसका क्या कारण है? इसका कारण राजनीतिक हस्तक्षेप है। विरोधियों को तंग करना, अपने प्रतिद्वन्द्वियों के खिलाफ मुकद्दमें बनाना जिसका जीता-जागता उदाहरण हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं। उन्होंने एच.पी.सी.ए. का एक स्टेडियम बना दिया तो उन्होने क्या गुनाह किया? उनके ऊपर पांच-पांच, छः-छः मुकद्दमें? धूमल जी के खिलाफ पांच-छः मुकद्दमें। जो धूमल जी का ज्यादा अनुयायी है उसके खिलाफ भी मुकद्दमें। रणधीर के खिलाफ

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.3.2015/1300/jt/av/1

श्री रिखी राम कौंडल जारी----------
उसके खिलाफ भी ठोको। रणधीर के खिलाफ एट्रोसिटी का केस ढूंढो। कौंडल जी ज्यादा बोलने वाले हैं, इनके खिलाफ कोई और तरीका तो मिलेगा नहीं इसलिए इनको किसी-न-किसी ढंग से परेशान करो। किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं बनता है कि किसी के घर में जाकर ट्रैस पासिंग करे। उसमें हुए नुकसान पर धीमान जी ने काफी बोला है मगर मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरा इस माननीय सदन के अंदर आरोप है। हमने सारे जिला हैड क्वार्टर्ज पर एक विरोध प्रदर्शन किया। प्रजातंत्र में हर पार्टी और हर राजनीतिक दल के लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है न कि ट्रैफिक को रोककर या तोड़-फोड करके। हम मैमोरैंडम देने डी.सी. ऑफिस गए। उस दिन डी.सी. ऑफिस में मीटिंग थी। धर्माणी जी उस मीटिंग में नहीं थे। मैं वहां पर उपस्थित लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। जब हम मैमोरैंडम देने गये तो वहां डी.सी. के चैम्बर में कुछ लोग बैठे हुए थे, जो आपके बड़े शुभ चिन्तक बनते हैं। मगर पता नहीं वे आपको कब छोड़कर चले जायें, हमें उन बिलासपुर के लोगों का बड़ा अनुभव है। हमने मैमोरैंडम दिया।

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? (बैठे-बैठे कहा गया।)

श्री रिखी राम कौंडल : माननीय मुख्य मंत्री जी, तीन साल के बाद आपकी समझ में सब कुछ आ जायेगा। आज आप समझो या न समझो।

Chief Minister: Then, I have to say also what happened in the regime of Mr. Prem Kumar Dhumal. But I don't want to open that chapter.

27.3.2015/1300/jt/av/2

श्री रिखी राम कौंडल : मुख्य मंत्री जी, हम खुली किताब के समान है। आप हमारा जो करना चाहते हैं कर लीजिए। आप जितना करना चाहते थे आपने कर लिया है। हमने अपने राजनीतिक जीवन में न तो कोई बेइमानी की है और न ही कोई भ्रष्टाचार

किया है। हमने नियमों के मुताबिक काम किया है और नियमों के मुताबिक चले हैं। उसी कारण से हम यहां विधान सभा में बार-बार चुनकर आते हैं। जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनको जनता दूसरी बार विधान सभा चुनकर नहीं भेजती है। तो मैं कह रहा था कि हम मैमोरैंडम देने डी.सी. ऑफिस गये। हम वहां मैमोरैंडम देकर वापिस आ गये। जब हम 14-15 किलोमीटर वापिस रास्ते में जा रहे थे तो हमें जिलाधीश महोदय का टेलिफोन आया कि आपने हमारा दरवाजा तोड़ दिया। हमारे साथ कमांडो/ पुलिस के लोग थे। केवलमात्र एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए कि इनको कैसे फंसाया जाए। हमने कहा कि जब आपका दरवाजा तोड़ा तो वहां पर पुलिस थी, आप हमें वहीं रोक लेते। धूमल जी यहां पर बैठे हैं। मैंने इनसे तुरंत फोन पर बात की, मैंने कहा सर ऐसा है। इन्होने कहा, कोई बात नहीं। उसके बाद हमें दोबारा से जिलाधीश का फोन आता है कि आप इसको सीरियस मत लेना। यह तो आपके जिले में लगाये हुए जिलाधीश और पुलिस कप्तान की स्थिति है। आज हम जिला कार्यालय में जाने से भी कतराते हैं। हम वहां पर कैसे चले जायेंगे जहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों पर झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं। मैंने आपके ध्यान में यह बात लाई है।

अध्यक्ष महोदय, हमने कटौती प्रस्ताव इसलिए दिए है क्योंकि यह सरकार कानून-व्यवस्था का पालन करवाने में टोटली फैल्योर है।

मुख्य मंत्री जी, मैंने जो तथ्य रखे हैं उनकी गहराई से छानबीन करवाइए। अगर इसमें एक भी बात झूठी निकलेगी तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आपको पूरा अधिकार है। हम आपका सम्मान करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुख्य मंत्री के रूप में अपने-आपको एक जुडिश्यरी मुख्य मंत्री साबित करना चाहते हैं। आप साबित कीजिए, आप बलगाड़ की जांच करवाइए कि उन लोगों को बिना

27.3.2015/1300/jt/av/3

वजह टोर्चर क्यों किया गया। अरैस्ट किए गए तीन लोगों के खिलाफ जब कोई तथ्य नहीं जुटा पाए तो फिर उनको छोड़ा गया। क्या कारण थे, इसकी सारी जांच करवाइए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

27.3.2015/1300/jt/av/4

अध्यक्ष : दोपहर के भोजन का समय भी हो गया है मगर इस मद पर अभी दो माननीय सदस्य बोलने के लिए शेष रहते हैं। अगर आप संक्षिप्त रूप में पांच-पांच मिनट बोले तो यह मद अभी खत्म हो सकती है।

अब श्री सुरेश भारद्वाज जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, इस मान्य सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए गए थे उसमें मांग संख्या :7, पुलिस एवं सम्बंधित संगठन पर मैंने कट मोशन दिया है। कट मोशन देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो कानून-व्यवस्था है वह मुख्य रूप से किसी भी सरकार का दायित्व होता है। डिवैल्पमैंटल काम------

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

27.03.2015/1305/negi/jt/1

श्री सुरेश भारद्वाज... जारी...

डिवलपमैन्टल काम हैं बाकी अन्य काम हैं वो सरकारें करती हैं। लेकिन किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में रूल ऑफ लॉ से काम हो और प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक रहे, जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और सुरक्षित भाव से वह काम कर सके, इसके लिए सभी सरकारें वचनबद्ध होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हिमाचल प्रदेश के पिछले 10 साल का अगर आप क्राईम ग्राफ देखेंगे तो उसमें खास करके महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश हाईएस्ट है। यह आपका ग्राफ है-क्राईम ग्राफ जो आपने दिया है। एस.सी., एस.टी. के प्रति जो क्राईम हुए हैं उसमें भी सबसे हाईएस्ट है । डकैती और रोबरी के जो केसिज़ हुए हैं उसमें भी हाईएस्ट है। जो एक्सीडेन्ट्स हो रहे हैं और एक्सीडेन्ट्स भी हाईएस्ट हैं। जब प्रदेश की स्थिति ऐसी रहेगी जिसको देवभूमि कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में लोग इसलिए आते हैं कि यहां पर कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहां पर जैसा मैदानी क्षेत्रों में होता है, दूसरे प्रदेशों में होता है उस प्रकार की स्थिति यहां पर नही होती है। यहां पर कोई भी आदमी, कोई भी महिला रात को भी अगर कहीं अकेली चली जाए

तो वह सुरक्षित भाव से चल सकती है । जब ऐसी स्थिति न रहे और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2014 में सबसे हाईएस्ट क्राईम के केसिज़ हुए हैं । ये इनके फिगर्ज़ बताते हैं जो इनके द्वारा समाचार-पत्रों में या दूसरे मीडिया दिए जाते हैं। जितनी शिमला में चोरियां होती हैं एक भी चोरी ट्रैस नही होती है। शिमला के बीच बाजार, राम बाजार से एक बच्चा चोरी हो जाता है और सारे देश में ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलता है वह । मुख्य रूप से मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार के काम होते हैं,जब इस प्रकार की स्थिति कानून-व्यवस्था की होती है तो उस कानून-व्यवस्था को ठीक करने वाले, उसको सुधारने वाले, इस प्रकार के क्रिमिनल्ज़ को पकड़ने वाले जो संगठन है, विशेष रूप से पुलिस संगठन है जब उसका प्रयोग किसी और काम के लिए होता है, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए नही होगा तो निश्चित रूप से वह कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी। मैं कल रोहडू से आया, आज के अखबार में पढ़ रहा था कि यहां इस मान्य सदन में किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि लालबत्ती

27.03.2015/1305/negi/jt/2

ले करके चेयरमेन घूमते हैं। मैंने तो कल ही एक कॉरपोरेशन के वाइस-चेयरमेन को लालबत्ती नहीं उसके आगे पॉयलट ले करके चलते हुए देखा है। बाईचांस एस.एच.ओ. हमारी गाड़ी को हटाने लगा था लेकिन उसकी नज़र मेरी लाल टोपी पर पड़ गई और उसने हाथ अन्दर कर लिया। जब पुलिस का प्रयोग इस प्रकार के कामों के लिए होगा तो किस प्रकार से कानून-व्यवस्था सुधर सकती है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर सरकार का पिछले 2 साल के कार्यकाल में अधिकांश समय बदला-बदली या अत्यचार के रूप में आया। अब आप अपने पॉलिटिकल विरोधियों के विरूद्ध केसिज़ बनाने में ही पूरे के पूरी ताकत लगा देंगे सरकार की तो जो क्रिमिनल्ज़ हैं उनको कैसे पकड़ा जाएगा? दूसरा क्राईम बढ़ेगा यहां पर। एन.डी.पी.एस. के केसिज़ बढ़ेंगे। एस.सी. , एस.टी. के खिलाफ क्राईम बढ़ेगा। महिलाओं के विरूद्ध जो अपराध हैं वे दिन प्रतिदिन यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। उसको रोकने की कोई व्यवस्था ही नही है। पांवटा साहब में एक एडवोकेट, के.आर. ठाकुर, उनके घर के पीछे नेशनल हाईवे है, वह वहां पर 10 बजे खाना खा करके निकले, उनको कुचल करके गाड़ी चली गई और आजतक उनको नही पकड़ा जा

सका है कि किसने यह क्राईम किया है। इसी प्रकार से हर तीसरे दिन कोई न कोई एक्सीडेन्ट होता है और...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

27.03.2015/1310/यूके/1

श्री सुरेश भारद्वाज---जारी----

हर तीसरे दिन कोई न कोई ऐक्सीडैंट होता है और उसमें मरते हैं, पौंटा साहिब में । हमारे बॉर्डर एरियाज़ में दिन-प्रति-दिन क्राईम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वह बद्दी-बरोटीवाला क्षेत्र हो, चाहे पौंटा साहिब का क्षेत्र हो, चाहे मैहतपुर या नूरपुर का क्षेत्र हो । इस प्रकार के क्राईम वहां पर इसलिए होंगे कि जब हम उन क्राईम करने वाले लोगों को छूट देंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का क्राईम का ग्राफ बढ़ता जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खनन के बारे में बहुत चर्चा होती है । शिलाई के क्षेत्र में खाने हैं, वहां चूना-पत्थर निकलता है । वहां पर अधिकांश लोग देहरादून और बाहर के प्रदेशों के हैं, जिनको खानें दे रखी हैं । खान नीचे थी । उसके पीछे पेड़ थे, पेड़ काट दिए गए ताकि वह खान ऊपर के क्षेत्र की तरफ को बढ़ जाए, जहां पर और अच्छा चूना निकलता है । कोई रोकने वाला नहीं है । कल ही इस सदन में एक प्रश्न लगा था और उस प्रश्न में जवाब आया था कि हमने जो चालान किए हैं उसमें 60 हजार रुपए जुर्माना पिछले एक साल भर में हुआ है । लेकिन माईनिंग डिपार्टमैंट में उनको कोई रोकने वाला नहीं है । एक और इसी प्रकार का जवाब आज एक प्रश्न के उत्तर PWD विभाग से आया है, कहते हैं कि जो खनन हुआ वह सड़क के साथ हुआ जिससे सड़क खराब हो गयी । PWD ने पुलिस को इसके लिए इन्दराज दर्ज करने के लिए लिखा है । लेकिन पुलिस ने कोई FIR नहीं की है । इसी प्रकार से फॉरेस्ट का है, अवैध कटान का । अवैध कटान हो रहा है । हमारे चीफ कंज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के दफ्तर के बिल्कुल सामने दिखने वाली जगह तारा देवी में 500 से ऊपर पेड़ कट जाएं और वह किसी को दिखाई ही न दें । जब यह मामला मीडिया में उठे और विधान सभामें उठे तब वहां के लोगों को पकड़ लिया जाए । पहले एक व्यक्ति को पकड़ा गया तो वह कहता है कि मैने ही सारे पेड़ काटे हैं । फिर उसका मालिक आ गया, उसको पकड़ा, फिर उसको छोड़ दिया गया । अब किसने काटे हैं,

कैसे काटे हैं, जिन लोगों को फॉरेस्ट के डिपार्टमैंट से संस्पैंड किया था, उनको आपने रिइनस्टेट कर दिया । इस तरह के मामले फॉरेस्ट में हैं । लैण्ड माफिया हैं, वन माफिया हैं, ये हिमाचल प्रदेश में दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं । जिसका परिणाम यह हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश मे जो देवभूमि कहलाई जाती थी, वह आज क्राईम भूमि कहलाने लग गयी है और उनको पकड़ने के लिए कोई साधन नहीं

27.03.2015/1310/यूके/2

है क्योंकि पुलिस राजनैजिक विरोधियों की प्रताड़ना करने में लगी है, उनके खिलाफ केसिज़ बनाने में लगे हुए हैं । अब यहां से बार-बार मामला आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी आफिस, जो माननीय मुख्य मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर जो लोग गए थे, वे कौन लोग थे । कुछ लोग तो कांग्रेस के जैनुअन वर्कर होंगे । पर बाकी लोग कौन थे, इस बात की छानबीन तो माननीय मुख्य मंत्री जी को अवश्य करनी चाहिए । क्योंकि इनके साथ ऐसे लोग थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है । उनके साथ थे । प्रदेश में जो चैयरमैन बनाए गए हैं । जब आप सरकारी दफ्तरों में एक क्लर्क भर्ती करते हैं तो उनकी बकायदा विजिलैंस जांच होती है, पुलिस की छानबीन होती है, तब जा कर उनको ऐप्वाइंटमैंट मिलती है । लेकिन जब चैयरमैन और वाईज़ चैयरमैन बनते हैं तो उनकी कोई छानबीन नहीं होती है कि उनके खिलाफ कितने केस हैं, क्या काम करते हैं, वे कहां पर रहते हैं । उनका यही काम है, वे शराब माफिया में हैं, खनन माफिया में हैं । इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है । पार्टी ऑफिस में प्रदर्शन करना कभी भी, किसी राजनैतिक दल को धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है, तो कहां पर वे प्रदर्शन करेंगे । इसकी छानबीन पुलिस करती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है । लेकिन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन ने किसी एक पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की अनुमति कैसे दी ?

एस0एल0एस0 द्वारा जारी ----

27.03.2015/1315/sls-jt-1

श्री सुरेश भारद्वाज ...जारी

हालांकि मीडिया में आया है कि इसकी कोई परमीशन ली ही नहीं गई। आपने एच.पी.सी.ए. के ख़िलाफ़ रातोंरात ताले लगा दिए थे, लीज कैंसिल कर दी थी और

अकादमी बंद कर दी थी। आपने धर्मशाला का स्टेडियम बंद कर दिया था। हम जब प्रदर्शन करते हैं, हमने किया और सी.टी.ओ. के पास किया जहां लोअर बाजार का एंड है। जहां पर अंग्रेजों के समय भी स्वतंत्रता सेनानी प्रदर्शन करते थे तब भी उनके खिलाफ़ कुछ नहीं होता था। आपके डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे ख़िलाफ़ केसिज बनाए। आज भी वह केसिज चल रहे हैं हालांकि वह स्टैंड नहीं करते क्योंकि वहां परमीशन की आवश्यकता ही नहीं होती। हमारे इस तरह के प्रदर्शन के तो केसिज बन जाते हैं लेकिन हमारी पार्टी के कार्यालय के बाहर अनलॉफुल असैंबली होती है और उसको वहां जाने की परमीशन जिला प्रशासन दे देता है। अगर नहीं देता है और अगर वहां पर अनलॉफुल असैंबली हो रही थी तो पुलिस का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया था? सारी पुलिस यहां पर बाकी कामों में लगी हुई है तो वहां का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? इतना ही नहीं, जो लोग वहां पर अनलॉफुल असैंबली कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग, जिनमें कुछ चेयरमैन और वाईस चेयरमैन थे, वह उठकर ऊंचे स्थान पर गए जहां बिल्डिंग बन रही है। वहां पहुंच जाते हैं और वहां से सीधे पत्थर फैंकते हैं। पत्थर एक कार्यकर्ता की आंख में लग जाता है और उस कार्यकर्ता की आंख सदा के लिए समाप्त हो जाती है, इस तरह की शर्मनाक घटना अगर हो जाए, राजधानी में हो जाए, माननीय मुख्य मंत्री जी जिनके पास होम पोर्टफोलियो भी है, उनके विधान सभा क्षेत्र में हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश के लिए क्या होगा जहां कि कानून-व्यवस्था इस प्रकार की हो? ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : प्लीज समाप्त करें।

27.03.2015/1315/sls-jt-2

श्री सुरेश भारद्वाजः जो राजनीतिक पार्टी अपने कार्यालय में सुरक्षित नहीं है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बाकी लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ... (व्यवधान)...

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट अनुमानों पर भी नहीं बोला था। मैंने उसमें भी आपका समय नहीं लिया था। लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष : इससे उसका संबंध नहीं है। आप समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में जिस प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति है, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था भी कम है। पुलिस स्टेशन्ज में नफ़री कम है, पुलिस के जवान कम हैं। जितने जवान होंगे वह अलग-अलग बहुत सारे कामों के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन पिछले दो सालों से, इक्का-दुक्का को छोड़कर, जवानों की भर्ती नहीं हो रही है। माननीय धूमल जी के समय, सरकार यू.पी.ए. की थी लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक महिलाओं की और दो पुरुषों की आई.आर.बी. बटालियनें स्वीकृत हुई थीं। लेकिन अब कोई भर्ती यहां पर नहीं हो रही है। इन सारे कारणों से और राजनीतिक कारणों से पुलिस एवं सम्बद्ध संगठनों का दुरुपयोग जब होगा तो प्रदेश में कानून-व्यवस्था खराब-से-खराब होती जाएगी। इस स्थिति को देखते हुए हमें कानून-व्यवस्था को ठीक बनाने की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। हम इस मांग का समर्थन माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं कर सकते हैं। मेरा यही निवेदन आपके सामने है।

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिहं जी कटौती प्रस्ताव पर बोलेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि जितना संक्षेप बोलें वह बड़ी अच्छी बात होगी ताकि इसका निपटारा जल्दी हो जाए।

27.03.2015/1315/sls-jt-3

श्री रविन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री महोदय, हम बड़े अच्छे सुझाव दे रहे हैं। आप तो जा रहे हैं।

मुख्य मंत्री : मैं अभी आ रहा हूं।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज यह मांग संख्या 7 पर, जो पुलिस और सम्बद्ध संगठनों के ऊपर हमने कटौती प्रस्ताव दिए हैं, उस पर यह चर्चा चल रही है। मुझसे पूर्व आदरणीय श्री धीमान जी, श्री रिखी राम कौंडल जी और भारद्वाज जी ने अपने विचार इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यहां पर प्रदेश की स्थिति के बारे में रखे हैं। मैं भी इस कटौती प्रस्ताव, जो हमने दिया है, जहां मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं इस मांग का विरोध करता हूं जिसके लिए बजट में इसकी व्यवस्था की गई है।

हमने कहा कि सरकार की वर्तमान कानून-व्यवस्था का अनुनमोदन और सरकार की पुलिस जवानों की भर्ती एवं तैनाती की नीति का अनुनमोदन करते हैं।

जारी .. श्री गर्ग जी

27/03/2015/1320/RG/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह----------क्रमागत

और दूसरा 'सरकार की पुलिस जवानों की भर्ती व तैनाती की नीति का अननुमोदन।'

अध्यक्ष महोदय, सही मायनों में जब से यह सृष्टि बनी उस समय से समाज में लोगों को तंग करने वाले असामाजिक तत्व भी उसी प्रकार से साथ-साथ चलते आ रहे हैं। वर्तमान में भी ऐसा है, चाहे वह त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलियुग हो, समय-समय पर ऐसे लोग समाज में पैदा होते रहते हैं, लेकिन व्यवस्था करना चाहे उस समय के राजा-महाराजाओं का जमाना रहा हो, चाहे वर्तमान में लोकतंत्र में सरकारों का जमाना है, उनको चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर जनता को सबसे पहले सुरक्षा मुहैया करवाएं। हमारी यह प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि या अन्य लोग भी उसमें शामिल होते हैं जिनका सरकार से सीधा संपर्क रहता है। ये मूलरूप से कौन होते हैं? जिन माफिया का नाम मुझसे पूर्व आदरणीय भारद्वाज जी ले रहे थे, चाहे ये वन माफिया हो, ड्रग माफिया हो, चाहे खनन माफिया या कोई कानून को खराब करने वाला माफिया हो, ये तमाम माफिया जो समाज में कुरीतियां पैदा करते हैं उन सभी का सीधा संपर्क सरकार के सत्ताधारी लोगों के साथ हमेशा रहता है। जब सरकार के सत्ताधारी लोगों के साथ इनका संपर्क रहेगा, तो निश्चित तौर पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने की गुंजाइश रहती है। इस कड़ी में हमने यहां अपनी बात रखी है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास गृह

विभाग है। इसमें समय-समय पर गृह विभाग पुलिस प्रशासन में बदलाव भी करता आ रहा है और इसके अंतर्गत बहुत सी सामुदायिक योजनाएं चलीं कि जनता का सीधा संवाद पुलिस के साथ हो। पुलिस के साथ जनता का जो एक डर रहता है, जो एक डर की भावना पैदा होती है, वह समाप्त हो। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कि स्थिति जस-की-तस बनी हुई है। अभी-भी एक आम-आदमी या गरीब को एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कहां-कहां कैसी-कैसी घटनाएं घटी हैं। यह डिटेल तो सरकार के पास होगी। जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह व्यवस्था कर दी है, बल्कि यह व्यवस्था तो राष्ट्रीय स्तर पर की गई है कि अब ऑन लाईन या मोबाईल पर भी एफ.आई.आर. दर्ज हो सकती है। जहां भी कोई व्यक्ति है, तो दूसरी जगह एफ.आई.दर्ज हो सकती है। लेकिन आज मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने मामलों हैं जिनमें मोबाईल या ऑन लाईन के द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? आज इसमें बहुत कमी देखने को मिल रही है। पुलिस विभाग से सीधे तौर पर यह

27/03/2015/1320/RG/AG/2

जवाब दिया जाता है कि इस प्रकार एफ.आई.आर. बिल्कुल भी दर्ज नहीं होगी, हम आपका नाम व पता नोट कर लेते हैं एफ.आई.आर. दर्ज करने का यह तरीका नहीं है। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस मामले में विभाग को दिशा-निर्देश दिए जाएं। पुलिस थानों में जहां से भी किसी गरीब आदमी का फोन आता है, तो उसकी प्राथमिकी दर्ज की जाए ताकि जो एक गरीब आदमी को तंग करने के ट्रेंड पर रोक लग सके और उसको मुश्किल न आए। दूसरी बात यह कि जब एफ.आई.आर. दर्ज हो गई और घटना का पता लग गया, तो पुलिस वहां समय पर नहीं पहुंचती और जब पुलिस पहुंचती भी है, तो सारी कार्रवाई हो चुकी होती है। यह जो स्थिति पूरे प्रदेश में है इसको भी ठीक किया जाए और पुलिस विभाग को इस बारे में दिशा-निर्देश दिए जाएं। अब तो आपने किसी भी पंचायत से जो थाना या पुलिस चौकी बनाई है मुझे लगता है कि मुश्किल से 5-7 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो, जो भी दूरी होगी, इसी बीच में होगी। सभी थानों में मोबाईल आदि हैं और उनको जुर्म की सूचना प्राप्त हो जाती है, लेकिन घटना स्थल पर पहुंचने में जान-बूझकर डिले किया जाता है। दूसरा पक्ष जो उनके साथ मिल गया होता है और उनको समय दे दिया जाता है कि आपको जो भी करना है, आप पहले ही अपना बंदोबस्त कर लो।

तो इस तरह कानून-व्यवस्था की स्थिति को खराब करने वाले जो कीड़े समाज में हैं उनको हमें निश्चित तौर पर रोकना होगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां काफी बातें कही गई हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि यहां कानून-व्यवस्था खराब करने वाले बहुत लोग हैं। ये चेयरमैंन या वाईस चैयरमैन और श्री भारद्वाज जी ने आपको कल का उदाहरण दे दिया। हम तो रूटीन में देखते हैं, आज निकलेंगे, तो रास्ते में आपको ऐसी कई गाड़ियां मिलेंगी जो लाल बत्ती लगाकर चल रही हैं और उनको कोई चैक करने वाला नहीं है। चैक उनको करेंगे जो गरीब आदमी बेचारा कहीं जा रहा होगा, तो रास्ते में उसको रोक लेंगे, हमें रोकते हैं, तो हम रुक जाते हैं और कहते हैं कि आप देख लीजिए, चैक कर लीजिए जो भी चैक करना चाहते हैं। हमारी गाड़ी को तो कई बार रोका गया है। मैंने तो लाल बत्ती अभी तक लगाई ही नहीं है। आम-आदमी को जब वे रोकते हैं, तो वे रुक जाते हैं । इस प्रकार एक आम-आदमी को तंग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इन लाल बत्ती की गाड़ियों में कौन घूम रहे हैं?

27/03/2015/1320/RG/AG/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा भारद्वाज साहब ने कहा, किसी वाईस चेयरमैन की बात की थी, तो ये मुझे सूचित करें क्योंकि किसी भी चेयरमैन या वाईस चैयरमैन को लाल बत्ती लगाने की इजाज़त नहीं है और यहां तक की किसी भी विधायक महोदय को भी यह इजाज़त नहीं थी ----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

27/03/2015/1325/MS/AG/1

मुख्य मंत्री जारी-----
आप मुझे सूचित कीजिए। किसी चेयरमैन और वाईस चेयरमैन को लाल बत्ती लगाने की इजाजत नहीं है। हमारे विधायकों को भी लाल बत्ती लगाने की इजाजत नहीं थी। इनको भी अब एंबर लाइट दी है। Please let me know. If you make a charge, you should also let me know. यहां बताइए, I shall certainly take action.

अध्यक्षः यह गलत बात है।

श्री रविन्द्र सिंहः मुख्य मंत्री महोदय, बिक्रम सिंह जरियाल जी हमारे भटियात से विधायक हैं। इन्होंने भी अपने बजट भाषण पर या महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एक नम्बर नोट करवाया है। अभी भी वह गाड़ी का नम्बर है और उसके ऊपर लाल बत्ती भी लगी हुई है। अब चैक कर लें कि किसकी गाड़ी है? आप देखें।

मुख्य मंत्रीः जब आप आरोप लगा रहे हैं तो बताइये कि क्या नम्बर था तथा किसकी गाड़ी थी, I will inquire into it. महज आरोप लगाने से बात नहीं होती है। I am with you for that.

श्री रविन्द्र सिंहः गाड़ी का नम्बर एच0पी0ः 07-5700 है। इस गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई है। एच0पी0 गवर्नमैंट लगा हुआ है। (व्यवधान) चलो, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लगा भी देते होंगे। (व्यवधान) गाड़ी नई है या पुरानी है, अब देख लो।

अध्यक्षः कृपया बैठ जाइए। (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) Mr. Jaryal, this is not the way to conduct in the House. बैठ जाइए।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं कि ये कानून-व्यवस्था खराब करने वाले हैं।

मुख्य मंत्रीः एक केस ऐसा है। अब हुआ है या नहीं हुआ है, हमें मालूम नहीं है। Single sparrow does not make a summer. If you generalize it, it is wrong.

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप अपनी चर्चा जारी रखिए।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं तो वही कर रहा हूं। लेकिन पीड़ा सभी को हो रही है। मैं तो यही कह रहा हूं कि समाज में ये जितने माफिए हैं। ये समर्थन करने वाले भी माफिया ही हैं। हां में हां मिलाना यह भी तो एक माफिया ही है। हम तो यहां

अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इनको पीड़ा किसलिए हो रही है? जब हम नाम दे रहे हैं तो आप लोग कम-से-कम चुपचाप सुनते तो रहिए। मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, मुझे इस बात पर एतराज नहीं है लेकिन आप सभी लोग एक-एक करके बोलने शुरू हो गए?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप अपनी बात रखिए। यह बाद में इसका जवाब देंगे। (व्यवधान) कृपया एक-दूसरे से डिस्कस मत कीजिए।

श्री रविन्द्र सिंहः मेरा मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन है कि इस पुलिस शासन को केवलमात्र अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने में मत लगाइए। ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में है। ये जो माफियाओं का राज है, मेरा निवेदन है कि इसको दूर करने की कोशिश करें। अब अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो आपने फिर कहना कि सारी डिटेल में चले गए। मुख्य मंत्री जी, मेरे पास काफी लम्बी सूची है। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी कुछ तथ्य यहां पर रखे थे। लेकिन कोई भी जवाब आपका उसमें नहीं आया। यहां पर अखबार में हमारी चम्बा के तीसा की खबर लगी है। वहां पर पांच शव मिले। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप चाहेंगे तो इसकी प्रति सदन में रख देंगे। "पालमपुर में घटित अपराधिक घटनाएं अभी भी वही बनी रहस्य", यह भी खबर है। मुख्य मंत्री जी, पालमपुर के चौकी पंचायत में रात को एक मारूति कार जाती है और वहां पर जंगल में, जहां बीच में एक रास्ता चौकी गांव का है, रास्ते में उस गाड़ी को आग लग जाती है। उस गाड़ी में दो लोग थे और वे दोनों अनुसूचित जाति से संबंधित थे। ऐसी हमें जानकारी मिली। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि वे अपराधी कौन थे। गाड़ी को आग लग गई। आज तक कोई पता नहीं है। यहां बार-बार विषय उठता रहा। यह 17 अक्तूबर, 2014 की घटना है।

इसी तरह से बनूरी के पास ओडर गांव है। मैंने पीछे भी कहा और मुख्य मंत्री जी आपने कहा था, मैंने आपको चिट्ठी दे भी दी है। एक रजनीश नाम का लड़का है जो हरिपुर का है और पालमपुर में रहता है। कहते हैं कि वह वहां पेमैंट लेने के लिए गया था।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

27.03.2015/1330/जेके/एजी/1

श्री रविन्द्र सिंहः------**जारी**---------

वह वहां पर पेमैन्ट लेने के लिए गया था। पुलिस ने वहां पर केस बनाया कि यह तो ऊपरली ढांक से गिर कर मर गया। जहां नीचे डैड बॉडी मिली, वहां पर 4 गिलास और एक बोतल पड़ी हुई मिली। जब वह अपने आप गिरा तो वह 4 गिलास और बोतल कहां से आ गई? उसको बहला-फुसला कर वहां पर ले गए थे। उसके साथ जो तीन-चार मित्र थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी हालांकि उसका वहां पर आत्महत्या का केस दर्ज़ कर दिया। धर्मपत्नी की चिट्ठी मैंने आपको फॉरवर्ड की है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नौरा कॉलेज की छात्रा जो कि अनुसूचित जाति की थी वह घर पर मरी हुए पाई गई। वहां के बच्चों ने बहुत ज्यादा एजिटेशन किया। अभी डेढ़ महीना पहले नदौन के पुल के ऊपर उसको मारकर नीचे फैंक दिया, कोई पता नहीं है कि क्या है? ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के अन्दर है । ये तो मैं कुछेक उदाहरण यहां पर दे रहा हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यदि आप एक-एक उदाहरण देंगे तो पता नहीं आपकी स्पीच कितनी लम्बी हो जाएगी इसलिए आप ब्रीफ में बोलिए।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो मैंने एक और बिन्दु उठाया था वह यह था कि "काला ने फैला रखा है काला साम्राज्य" । काला का मतलब यह सारा ड्रग्ज़, स्मैक,चिट्टा पानी के नाम से बिक रहा है नशा पूरे क्षेत्र में । कल परसो होली क्षेत्र में ट्रक भी पकड़ा गया। वहां चार किलो के करीब नशा पकड़ा गया है। ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में है। "हिमाचल में पांव पसार रहा है नशे का करोबार" ये सारी स्थिति है। इसी तरह से बच्चे को अगुआ करने की बात है। एक और तथ्य है जिसमें आजकल पुलिस भी मिली हुई है, "बड़े सैक्स रैकेट का पर्दाफाश पुलिस वाले भी थे ग्राहक"। माननीय मुख्य मंत्री जी आपके पास पूरी सूचना आग गई है, मुझे मालूम है। जिला कांगड़ा के इलाके में आपने देखा होगा कि वहां पर पुलिस को साथ ले कर और यह खबर अमर उजाला की मंगलवार 17 मार्च, 2015 की यह खबर है। बहुत बड़ा धंधा पूरे हिमाचल में चला हुआ है। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन इसमें नाम तक लिखे हुए हैं।

यानि माफियों का राज पूरे प्रदेश में क्यों पाँव पसार रहा है? यह पुलिस, प्रशासन क्यों सभी इनमें मिला हुआ है? गरीब आदमियों के ट्रैक्टरों के चालान कर देना, मोटर-बाईक पर यदि कोई जा रहा है और हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो उसका चलान कर देना, हमारा जैसा कोई जा रहा है, बैल्ट नहीं लगाई है तो पूछताछ कर लेते हैं लेकिन इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। देहरा का हनुमान चौक है जहां चौराहा है, उस चौक के चारों तरफ सड़कें हैं। एक ज्वालामुखी को जाती है, एक कांगड़ा को, एक ज्वाली को और एक भरवाईं चिंतपूरनी की तरफ जाती है। उस चौक की चारों सड़कों पर जब मर्जी जाओ वहां पुलिस के लोग चालान करने के लिए खड़े होते हैं। पुलिस को गरीबों को तंग करने के सिवाय क्या और कोई काम नहीं है? इसलिए हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को जो घाटा हो रहा है, इसके लिए आपने एक तथ्य भी दिया है कि हमारा विदेशी पर्यटक यहां आना क्यों कम हो गयाहै। इसका एक कारण यह भी है। जब हिमाचल में लोग अपने आप को विश्राम देने के लिए, तरो-ताज़ा होने के लिए, यहां के वातावरण का आन्नद लेने के लिए यहां आएंगें लेकिन जब यहां की स्थिति ऐसी दयनीय होगी तो आम आदमी सोचता है कि भई, वहां मत जाओ और क्षेत्र में चले जाओ। वे जम्मू-कश्मीर जाना ज्यादा पसन्द करते हैं। आपने तो कहा था कि वहां जो कारण बना वह यह बना था कि प्राकृतिक आपदा वहां पर आ गई थी । मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। मेरा आपसे एक यह भी निवेदन है कि जैसे पुलिस नौजवानों के लिए एक जो विभागीय टैस्ट रख दिया है, इन बेचारों की कई नौजवान तो कॉंस्टेबल ही रिटायर हो कर घर जा रहा है । उसमें बी-1 का जो आपने विभागीय टैस्ट रख दिया है, कई बेचारे उसमें पास होते हैं, कई नहीं हो पाते। उनको टाईम-बाऊंड करके वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए । हमारी सरकार के समय में हमने यह किया था कि उसके ऊपर एच.एच.सी. डैज़िग्नेट कर दिया था, एडजस्टमैंट की थी लेकिन अभी कई लोग ऐसे हैं कि उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि एक तो पास्टें खाली है, आपने प्रक्रिया तो शुरू कर दी है भर्ती की लेकिन फिर भी जो बटालियन आपको मिली हैं, उनमें भर्ती करिए और एक जो यह

27.03.2015/1330/जेके/एजी/3

राज यहां पर पनप रहा है वह चाहे वनमाफिया है चाहे अन्य माफिया यहां पर पैदा हो रहे हैं, भू-माफिया ने भी यहां पर पांव पसार दिए हैं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब समाप्त करिए।

श्री रविन्द्र सिंहः इनको कंट्रोल करने के लिए, पुलिस प्रशासन को राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, धूमल-अनुराग के ऊपर केस बनाने के लिए नहीं, रिखी राम कौंडल के परिवार के ऊपर केस बनाने के लिए नहीं, इनको इन कामों में भी लगाओ ताकि प्रदेश की कानून व्यवस्था को, लोगों को, महिलाओं को राहत मिले।

अध्यक्ष जी एस.एस. की बारी में---

27.03.2015/1335/SS-AG/1

अध्यक्षः माननीय सदस्य प्लीज़ समाप्त कीजिए। आप जो बोल रहे हैं वह आपके मेम्बर पहले ही बोल चुके हैं। आप बार-बार वही बोल रहे हैं। पहले ये लोग बोल चुके हैं।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने ढंग से बोला और मेरा बात करने का ढंग अलग सा है। इन्होंने अपने ढंग से बोला और मैं अपने ढंग से बोलूंगा।
अध्यक्षः लेकिन आपको समय का ख्याल भी रखना पड़ेगा।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, जितना आप बोलते हैं उतना समय हमें दे दिया करें तो हमारा समय बिल्कुल बच जायेगा। आप इतनी टोका-टोकी मत किया करें।

अध्यक्षः आप बैठ जाईये। अब आपको समय नहीं मिलेगा। । don't allow you to speak now. काफी हो गया। कृपया समाप्त कीजिए। आप काफी देर से बोल रहे हैं। 15-20 मिनट हो गए हैं। प्लीज वाइंड अप कीजिए।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, वाइंड अप कर रहा हूं। अंत में मेरा निवेदन यही है कि मैं पुलिस जवानों की बात कर रहा हूं। आप भी सहमत होंगे कि इनकी पोस्टें खाली हैं उनकी भर्ती करिये। यहां पर जो बटालियन मिली हैं उनमें भर्ती करिये ताकि जो बेरोजगारी की समस्या हिमाचल में है वह दूर हो। मैंने जो बिन्दु यहां पर उठाया है कि ये आरक्षी वैसे ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनके लिए कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था निश्चित तौर पर ठीक होगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ में जो हमने कटौती प्रस्ताव दिए हैं इसका समर्थन करते हुए मांग का अननुमोदन करता हूं। आपका धन्यवाद।

समाप्त

27.03.2015/1335/SS-AG/2

अध्यक्षः अब श्री जय राम ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। आप दो मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मुझे एक स्पैसिफिक बात कहनी है। मैंने नियम-62 के तहत एक प्रस्ताव दिया था। शायद वह किसी वजह से स्वीकार नहीं हो पाया होगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक बहुत दुखद घटना कुछ दिन पहले 20 तारीख को घटित हुई। उसमें गोहर के नज़दीक एक ग्राम पंचायत बस्सी पड़ती है। उस पंचायत में एक नौजवान दौलत राम सुपुत्र श्री भूप सिंह है, जिसकी उम्र 27 साल है। वह चाय पीने के लिए एक ढाबे के पास बैठा था और एक दूसरा लड़का उसी पंचायत और गांव का सुरेश कुमार सुपुत्र हरिमन वहां आता है। वह भी बस्सी का रहने वाला है। पहले उसको कहता है कि आप मेरे साथ गोहर चलिये। वह लड़का बाईक पर था। लेकिन उसके बावजूद जब उस लड़के ने मना कर दिया तो उसने थोड़ा हट करके एक बैग से खुखरी निकाली और उसकी गर्दन पर चला दी। जैसे किसी बकरे को काटते हैं उस प्रकार से उस पर वार किया। मेरे पास तस्वीर भी है जिसको देखा नहीं जा सकता। बहुत गहरा घाव है। उस घटना के बाद जो अपराधी था उसने मोटर साइकिल स्टार्ट किया और उस पर फरार हो गया। वहां से पंडोह की तरफ गया। पुलिस को भी सूचना तुरन्त दे दी गई। घायल लड़के को गोहर हॉस्पिटल पहुंचाया

गया। गोहर अस्पताल से मंडी रैफर किया। मंडी से फिर पी0जी0आई0 रैफर किया। बहुत लम्बा ऑपरेशन होने के बाद उस बच्चे को बचा तो लिया गया है लेकिन अभी तक भी वह बच्चा बहुत खराब परिस्थिति में है। मेरा इसमें सिर्फ इतना निवेदन है कि जो लड़का फरार है, वह कहीं बद्दी के पास प्राइवेट कम्पनी में नौकरी करता था, घर से जाने के बाद अभी तक वह मिल नहीं पाया है। क्योंकि मैंने कॉलिंग एटैंशन नोटिस दिया था लेकिन वह नहीं लग पाया इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करे और आरोपी लड़के को तुरन्त गिरफ्तार करवाए। मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी थी।

समाप्त

27.03.2015/1335/SS-AG/3

अध्यक्षः अब कटौती प्रस्ताव श्री ईश्वर दास धीमान, श्री रिखी राम कौंडल, श्री सुरेश भारद्वाज और श्री रविन्द्र सिंह जी की ओर से प्रस्तुत हुए और इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो इस कट मोशन में माननीय सदस्यों ने चर्चा की है मैंने उसको बड़ी गम्भीरता से सुना है। जैसा अभी जय राम जी ने तथ्य रखा है, मैं पुलिस विभाग को आदेश दूंगा कि इसकी जल्दी-से-जल्दी छानबीन करे और जो अपराधी लड़का वहां से फरार हो गया है उसको पकड़ने के लिए कोशिश करे। जिसके साथ यह घटना घटी है, हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। उसके परिवार के साथ है।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, कट मोशन में भाग लिया, उनसे ऐसे लगता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर कानून-व्यवस्था बिल्कुल टूट गई है।

जारी श्रीमती के0एस0

27.03.2015/1340/केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री जारी--

कट मोशन में भाग लिया, इससे ऐसा लगता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल टूट गई है, अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं,

महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं, हरिजनों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इस किस्म की जो एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है वह बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। मैं यह नहीं कहता कि हिमाचल इन सबसे सेफ है। जैसे-जैसे यहां पर आबादी बढ़ी है, बाहर के लोग यहां पर बस रहे हैं और खासकर नई पीढ़ी में उग्रता होती है तो मैं यह नहीं कहता कि यहां पर क्राईम नहीं होते हैं। मर्डर भी होते हैं, रेप भी होते हैं चारी और डकैती भी होती है । लेकिन यह केवल आज ही नहीं हो रहा है बहुत समय से यह सिलसिला चलता आ रहा है। मगर प्रश्न यह है कि क्या क्राईम अभी ही बढ़ा है, जैसे यहां पर बताने की कोशिश की गई? अगर मैं चाहूं तो जब धूमल साहब दो दफा प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे उस वक्त के क्राईम की लिस्ट भी हमारे पास है मगर उनको पढ़कर मैं कोई वैमनस्य पैदा नहीं करना चाहता। कोई कम्पैरिजन की बात नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि Himachal is a crimeless State, यहां चोरी भी नहीं होती है, डकैती भी नहीं होती या कोई दूसरे अपराध नहीं होते । परन्तु इतना मैं जरूर कहूंगा कि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति हिमाचल प्रदेश में पहले से बेहतर हुई है। इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा जो इस प्रकार हैः-?

27.03.2015/1340/केएस/एजी/2

"प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस लोगों को सुरक्षा प्रदा

न करने और उनके जान व माल की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।

वर्ष 2013-14 के अपराधिक आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रदेश में अपराधों पर पूरा नियंत्रण है। वर्ष 2011 में कुल 18,875 तथा वर्ष 2012 में 15,937 अभियोग पंजीकृत हुए थे। जबकि वर्ष 2013 में 15,733 व वर्ष 2014 में 17,122 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 1957 अभियोगों की कमी आई है। वर्ष 2014 में दर्ज अपराध वर्ष 2009 से भी कम है जबकि इनकी संख्या वर्ष 2011 में सर्वाधिक थी। पिछले दो वर्षों में दर्ज मामलों की औसत संख्या पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है।

वर्ष 2011 व 2012 में हत्या के 244 अभियोगों की तुलना में वर्ष 2013 व 2014 में 235 अभियोग यानि 9 अभियोग कम पंजीकृत हुए हैं।

वर्ष 2011 व 2012 में पंजीकृत चोरी के 1809 अभियोगों की तुलना में वर्ष 2013 व 2014 में 1470 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। इस प्रकार इस अवधि में चोरी के 339 अभियोगों की भारी कमी हुई है।

वर्ष 2011 व 2012 में पंजीकृत गृह भेदन के 1788 अभियोगों की तुलना में वर्ष 2013 व 2014 में 1673 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। इस प्रकार इस अवधि में चोरी के 115 अभियोगों की कमी हुई है।

इसी प्रकार Hurt एवं Rioting के मामलों में भी भारी कमी है। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2013 व 2014 में कानून व्यवस्था में सुधार आया है।

27.03.2015/1340/केएस/एजी/3

महिलाओं के प्रति अपराधों पर सरकार गम्भीर है। महिलाओं के प्रति अपराधों के कानूनों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार संशोधन किए गए हैं तथा महिलाओं में उनके अधिकारों के बारे में जागरुकता आई है जिस कारण महिलाएं उनके साथ घटित अपराधों को निसंकोच स्वतत्र रूप से पंजीकृत करवा रही है। जिन कारणों से महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कुछ वृद्धि हुई है। महिलाओं की सुविधा के लिए हिमाचल सरकार ने तीन महिला पुलिस स्टेशन खोले हैं तथा निकट भविष्य में इसी तरह के दो अन्य पुलिस स्टेशन खोलने का प्रस्ताव है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

26.3.2015/1345/jt/av/1

मुख्य मंत्री जारी----------

का प्रस्ताव है।

ललिता कुमारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि ऐसी सभी शिकायतें जो कॉग्निजेबल अपराध दर्शाती है उनमें एफ.आई.आर. दर्ज करना अनिवार्य है। इसके बावजूद भी अपराधों की संख्या में कमी आई है।

जनसंख्या में वृद्धि, वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी तथा अन्य गतिविधियों में वृद्धि के बावजूद भी यह कमी आई है।

प्रदेश के मंदिरों की सुरक्षा के लिए हिमाचल सरकार प्रयासरत है। हाल ही में कुल्लू में श्री रघुनाथ जी मंदिर की चोरी को सुलझाने और चोरी की गई बहुमूल्य मूर्तियों तथा अन्य सामग्री को बरामद करने में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है।

जहां तक प्रदेश में मादक पदार्थों की समस्या से निपटने की बात है, वर्ष 2011 व 2012 में पंजीकृत एन.डी. एण्ड पी.एस. ऐक्ट के 1083 अभियोगों की तुलना में वर्ष 2013 व 2014 में 1175 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। इस प्रकार इस अवधि में एन.डी. एण्ड पी.एस. ऐक्ट के 92 अभियोगों की वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में चरस की बरामदगी में भी वर्ष 2013 व 2014 में 101 किलोग्राम की वृद्धि हुई है।

एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन एवं आई.जी., क्राइम के सुपरविजन में एक नार्कोटिक्स सैल स्थापित है जो एन.डी. एण्ड पी.एस. के मामलों पर निगरानी रखता है।

अवैध खनन को रोकने के लिए हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। पुलिस विभाग ने खनन माफिया के विरुद्ध वर्ष 2013 व 2014 में 9892 वाहनों के चालान किए हैं जिससे सरकार को 5.12 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2011 व 2012 में अवैध खनन के 4343 वाहनों के चालान किए गए थे जिनमें दोषियों से 1.40 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया था। इस प्राकर अवैध खनन के अंतर्गत

26.3.2015/1345/jt/av/2

किए गए चालानों व जुर्माने में वर्ष 2013 व 2014 में काफी वृद्धि हुई है यानि उनको असरदार तरीके से रोकने का प्रयास किया गया है।

प्रदेश में आम आदमी को एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए निम्नलिखित सुविधाओं का प्रावधान किया गया है:-

1. स्वयं थाने जाकर।

2. शिकायत पत्र देकर।
3. ई-मेल द्वारा।
4. ई-समाधान द्वारा।
5. पुलिस वैब पोर्टल द्वारा।
6. पुलिस मोबाइल नम्बर 9459100100 पर एस.एम.एस. द्वारा।

किसी भी तरीके से एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा सकती है।

जहां भी मानव समाज होगा, अपराध भी होगा व विकास के साथ-साथ अपराध भी बढ़ेगा तथा अपराधों का स्वरूप भी बदलेगा। अपराध की घटनाओं का यह तात्पर्य नहीं है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। अपराधों को राजनैतिक दृष्टि से देखना अनुचित होगा। प्रदेश में कोई भी संगठित अपराध व आपराधिक गिरोह सक्रिय नहीं है। पुलिस बस के मनोबल व कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अत्याधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उनकी कार्यदक्षता बढ़ेगी---

जारी श्री बी जे द्वारा

27.03.2015/1350/negi/jt/1

माननीय मुख्य मंत्री महादेय.... जारी..

जिससे उनकी कार्य दक्षता बढ़ेगी तथा जनता से अच्छा सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें हमेशा कानून के अन्तर्गत निष्पक्षता, निर्भयता और सत्यनिष्ठा से कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश भारत के उन कुछ राज्यों में से है एक है जहां पर सभी जिलों के 114 पुलिस थानों में ऑनलाईन कनैक्टिविटी स्थापित है। पुलिस का वैब पोर्टल एक अत्यधिक गतिशील व नागरिकों को सेवा प्रदान करने वाली ईकाई है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए समुदाय के सहयोग से हमेशा कार्य किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप विभाग की कार्यप्रणाली में हर स्तर पर सुधार हुआ है। पुलिस की कार्य प्रणाली को पुलिस सामुदायिक योजनाओं के सदस्यों द्वारा लगातार जांचा/परखा जाता है तथा इनके

द्वारा लगातार दी जा रही सूचना के कारण यह प्रयास आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है।

सरकार के सत्ता में आने के बाद 06 नये थाने व 10 नई चौकियां खोली गई है। इनवैस्टिगेटिंग ऑफिसर को आधुनिक टैक्नोलोज़ी से रू-ब-रू करने हेतु Cyber Cell, White Collar Crimes आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण के अन्तर्गत पुलिस को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

राज्य की कानून व्यवस्था पूर्णतः नियन्त्रण में है। प्रदेश पुलिस अपराधिक घटनाओं से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सतर्क एवं सक्षम है। हिमाचल प्रदेश देश के कुछ शान्तिप्रिय राज्यों में से एक है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से नियन्त्रण में है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ बातें कही गई हैं जिन सबका मैं जवाब तो नहीं दे सकता मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ बातें हैं, इस मान्य सदन में जो

27.03.2015/1350/negi/jt/2

गलत दृष्टिकोण रखा गया है उनको मैं दुरूस्त करने की कोशिश करूंगा। अभी यहां पर धीमान साहब ने अपने भाषण में कहा था, about the cases of two missing children Master Yug missing from Shimla and Master Aditya missing from Hamirpur. यह धीमान साहब ने कहा या किसी और ने कहा । In this regard, criminal cases have been registered and investigation is being carried out. All efforts are being made to trace both these missing children.

अध्यक्ष महोदय, आजकल जैसे-जैसे हमारी कनैक्टिविटी बढ़ रही है, लोग आसानी से प्रदेश में गाड़ी ले करके आ सकते हैं और यहां से जा सकते हैं और उनके साथ कुछ नए किस्म के क्राईम भी आ गए हैं। हमीरपुर के अन्दर भी एक बच्चे का अपहरण हुआ और अभी तक उसका पता नहीं लगा कि यह किसी इंडिविजुअल का काम है या किसी गिरोह का काम है । इसमें दोनों ही बातें हो सकती है। पुलिस उसकी छानबीन करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और वह कई संस्थाओं से

अपना सम्पर्क साधे हुए है। मुझे आशा है और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि पुलिस अपने प्रयास में सफल हों और वे बच्चें वापिस आएं, मैं इस बात की कामना करता हूं।

श्री रिखी राम कौंडल जी ने कहा कि Police could not register cases during some months in 2013 due to amendments. ऐसी कोई बात नही हुई है कि किसी तारीकों के बीच में पुलिस मुकदमा दायर नहीं कर पायी हो । उन्होंने यह भी कहा कि cases of murder in 2014 were 130, same as in 2011.

Shri Suresh Bhardwaj said that vacancies in police stations are filled up from battalions. In addition, women police and home guards have also been provided.

मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नही है। यह नही है कि ....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी..

27.3.2015/1355/यूके/जेटी/1

मुख्य मंत्री--जारी ---

यह नहीं है कि पुलिस की कोई कमी है, हमको किसी और जगह से पुलिस लानी पड़ती है । Rotation of police force from one station to another is a common practice. और अभी जितनी पुलिस है, उसमें जितने लोग रिटायर हो रहे हैं या और अधिक पुलिस की जरुरत है तो हमेशा सरकार की कोशिश है कि आवश्यकता के अनुसार हर वक्त पुलिस की नफरी बनी रहे और इसी वास्ते इस साल भी हमने 800 नए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने की छूट दी है और यह कोई अंतिम निर्णय नहीं है । आने वाले वित्तीय वर्षों के अन्दर हम देखेंगे कि अगर और पुलिस फोर्स की जरूरत है या कोई नयी बटालियन बनाने की जरूरत है, उसके बारे में भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी । हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे पास पूरी तादाद में पुलिस हो, वैल ट्रेंड हो और वह अपने काम करने में दक्ष हो, सक्षम हो, इस तरीके की हमेशा कोशिश रहती है, हर सरकार कोशिश करती है । तो ये कुछ चन्द बातें थी।

जहां तक राजनैतिक तौर पर काम हो रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही या उनको जो सरकार के विरोधी हैं, उनके पीछे लगा लगा है, this is a cheap type of talk. I think, I can say कि हमारी सरकार कभी भी बदले की भावना से काम नहीं करती। हमारी सरकार का कर्तव्य है, सबकी सुरक्षा करे। चाहे कोई भी हो, साधारण नागरिक हो, चाहे वह हमारा समर्थक है, चाहे वह हमारा विरोधी है, सभी की सुरक्षा करना, सबकी जान-माल की हिफाज़त करना, सबके सम्मान की रक्षा करना, यह किसी भी सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है। हमने कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। न ही हमने कभी किसी राजनैतिक प्रतिशोध से काम किया है। हालांकि मैं स्वयं राजनैतिक प्रतिशोध का भुक्तभोगी रहा हूं। मगर मैं उस बात को बताना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इसके बारे मे धूमल जी ने कहा कि 29 जनवरी को जो शिमला में घटना घटी थी, जहां पर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। उसके बारे में जिक्र हुआ है। उस के बारे में 3 FIR दर्ज हैं, एक FIR कांग्रेस के द्वारा दर्ज की गयी है। दूसरी FIR भाजपा के द्वारा दर्ज की गयी है और तीसरी FIR पुलिस के द्वारा दर्ज की गयी है और उसके ऊपर पूरी

27.3.2015/1355/यूके/जेटी/2

इनवेस्टिगेश होगी। और यह कहना कि वे उस जुलूस में कोई आर्म्ज़ लेकर गए, शस्त्र, डंडे या पत्थर लेकर गए। यह बिल्कुल गलत बात है। यह कोई सही बात नहीं है। यह एक ऑल इंडिया कॉल थी कि जो भूमि-अधिग्रहण बिल पिछली सरकार ने पास किया उसका संशोधन एक अध्यादेश के द्वारा हमारी अगली सरकार ने किया, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। इस के लिए हिमाचल युवा कांग्रेस को भी यह आदेश था कि जो सारे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके मुताबिक वे भी यहां भी प्रदर्शन करें। मैं मानता हूं कि किसी पार्टी के दफ्तर के पास प्रदर्शन नहीं होने चाहिएं। मगर अभी कुछ अरसा पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन निकाला गया, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा और राहुल गांधी जी के घर में गये और प्रदर्शन किया। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। यदि वहां पर गलत हुआ था तो यहां पर भी गलत होना चाहिए। मेरा यह कहना नहीं है। मगर धूमल साहब इस बात को मानेंगे कि प्रदर्शन से पहले युवा कांग्रेस अध्यक्ष जो हिमाचल प्रदेश के हैं।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी ----

27.03.2015/1400/sls-ag-1

माननीय मुख्य मंत्री...जारी

प्रदर्शन से पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, जो हिमाचल के हैं, उन्होंने धूमल साहब को इसके बारे में सूचित किया था कि हम कल शांतिपूर्ण प्रदर्शन निकाल रहे हैं। उसके बाद उनका जो प्रदर्शन था वह शांतिपूर्ण था। उनके पास न पत्थर थे, न डंडे थे। उनके पास जो युवा कांग्रेस का झंडा था वह भी प्लास्टिक की कंड्यूट पाईप में लगा हुआ था। आपके दफतर तक तो वह पहुंचे ही नहीं। वहां जंजीर लगाकर पहले ही सड़क रोकी गई थी। किसने रोकी और किसने एक अधिकृत रोड को जंजीर लगाकर रोका; यह जिसने भी किया, यह बड़ी शर्म की बात है। किसी ने उसको लांघा नहीं। फिर वहां पत्थर गिरे। किसने गिराए? जब पत्थर गिरते हैं, जब गिरे तो दूसरों ने भी उठाकर वापिस फैंके। और जिस व्यक्ति की आंख में चोट आई, वह दुःख की बात है। मगर मैंने वीडियो टेप पर देखा है वही व्यक्ति खुद सड़क से पत्थर उठाकर फैंक रहा था। He was very much active in stone throwing. मगर उसका राजनीतिकरण करना और उसको यह बताना कि हमारे लोगों की टांगे टूट गई या हमारे दफ्तर पर हमला हो गया; एक प्री-मैडिटेटिड हमला हुआ है, यह कहना बिल्कुल गलत है। मगर इसमें फिर भी पुलिस की जांच हो रही है, इसमें एफ.आई.आर. दर्ज़ हैं। The matter is sub-judice in courts. I don't want to comment any further. Let the law takes its own course and who is guilty, let him face the consequences of the action. Thank you.

अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने कटमोशन दिए हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि वह अपने कटमोशन वापिस ले लें।

अध्यक्ष : इसमें चर्चा होती नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के पश्चात सदस्यों ने अपने कट मोशन वापिस लेने हैं या नहीं लेने हैं, यही प्रश्न किया जाता है। माननीय धूमल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

27.03.2015/1400/sls-ag-2

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही, मैं रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूं। इनको पता नहीं क्यों यह इंप्रैशन है कि

मुझे एक दिन पहले फोन किया। आपका ए.डी.एम. कह रहा है कि हमने कोई परमीशन नहीं दी। फिर क्या मैंने वहां गांव से परमीशन देनी थी। आप अपने सपुत्र से पूछिए, उनका फोन मुझे उससे कुछ मिनट पहले आया था जब वह जा रहे थे और शायद रास्ते में ही होंगे। मैंने भी तब उन्हें यही कहा था कि पार्टी आफिस के बाहर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि आज आप भी मान रहे है। बात हमारी जो थी, उन्होंने लिखित तौर पर जो पत्र दिया, वह भी मैंने ले किया है और मैंने जो जवाब दिया, वह भी ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस ले किया है। इसलिए कृपया तथ्यों को इस तरह से ट्विस्ट मत करिए कि उन्होंने मुझे बता दिया था और क्या मैं वहां से कुछ कहता। मुझे क्या पता था कि क्या हो रहा है। मुख्य मंत्री महोदय, आपने इस तरह से सारी बात कह दी कि जिसकी आंख चली गई, वह भी पत्थर उठाकर मार रहा था।

मुख्य मंत्री : यह फोटोग्राफ्स में है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : आप एक तरफ कह रहे हैं कि जांच हो रही है। हमने भी फोटोग्राफ्स देखें हैं। क्योंकि जांच हो रही है, मामला जांच के अधीन है, आप मुख्य मंत्री हैं, गृह मंत्री है, पुलिस आपके अंडर है लेकिन आपने दूसरे दिन ही इस मामले में कैसे क्लीन चिट दे दी?

मुख्य मंत्री : यह जांच से ही ज्ञात हुआ है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : जांच तो अभी हुई ही नहीं है।

मुख्य मंत्री : जांच हो रही है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : आपका प्रशासन भी यही कह रहा है कि हमारे से वहां प्रदर्शन की कोई इज़ाजत नहीं ली गई है। इसलिए कृपया इस तरह से ट्विस्ट मत करिए। जो तथ्य है, वही यहां रखने चाहिए। ...(व्यवधान)... जारी .. श्री गर्ग जी

प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी के पश्चात

अध्यक्ष : तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को देखते हुए माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे?

श्री सुरेश भारद्वाज जी अब इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। आप कटौती प्रस्ताव पर बोलें।

श्री सुरेश भारद्वाज : हम उस पर ही बोलेंगे।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, यदि कटौती प्रस्ताव वापस लेना है, तो बोलना तो पड़ेगा कि हमें किस प्रकार वह कटौती प्रस्ताव वापस लेना है या नहीं लेना है।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, ये मेरे बोलने से पहले ही उठ गए थे।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-7 पर हमने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। हम समझते थे कि हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों के उत्तर मुख्य मंत्री जी देंगे, लेकिन जहां कानून-व्यवस्था की स्थिति सारे प्रदेश में बद-से-बदतर होती जा रही है वहां माननीय मुख्य मंत्री जी तथ्यों को भी गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कहना कि जिस व्यक्ति की आंख में चोट लगी वही व्यक्ति पत्थर फेंक रहा था, गलत है। उसकी आंख तो पत्थर लगते ही फट गई और उसको वहां से उठाकर ले गए, तो वह वापस पत्थर कैसे फेंक सकता है? इस प्रकार की गलत बयानी करना माननीय मुख्य मंत्री अथवा गृह मंत्री के द्वारा ठीक नहीं है और इससे नीचे पुलिस इनवेस्टीगेशन क्या होगी? मैं समझता हूं कि इसको देखते हुए हम कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे।
अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि श्री ईश्वर दास धीमान, श्री रिखी राम कौंडल, श्री सुरेश भारद्वाज और श्री रविन्द्र सिंह जी के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं।

प्रस्ताव अस्वीकार
कटौती प्रस्ताव गिर गया।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-7, 'पुलिस और सम्बद्ध संगठन' के अन्तर्गत राजस्व व पूंजी के निमित्त मु. 8,01,19,36,000/-रुपये(राजस्व) व मु. 30,74,00,000/-रुपये (पूंजी) की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जांए।

प्रस्ताव स्वीकार
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

27/03/2015/1405/RG/AG/2

अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 2015 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांक : 27 मार्च, 2015 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
शिमला-171004 **सचिव।**